




भारत की जनगणना 1991

1993 का पेपर-2

आवास और सुविधाएं
1991 जनगणना की आवास सारणियों की
सक्षिप्त व्याख्या



जन-अध्ययन प्रभाग
भारत के महाराजस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त
का कार्यालय, गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

प्राक्कथन

वर्ष 1991 की जनगणना के प्रथम चरण अर्थात् मकान सूचीकरण के समय जोकि 1990 के दौरान सम्पन्न हुआ, में मकानों की उपलब्धता (स्टक) और परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं संबंधी आंकड़े भी एकत्रित किये गये। मकान सूचीकरण का कार्य समक्षालिक न होने के कारण छः महीने के दौरान विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में अलग-अलग समय पर सम्पन्न हुआ। पूर्व की जनगणनाओं की भाँति मकान का उपयोग और मकान की छत, फर्श व दीवारों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के बारे में प्रश्न पूछे गये। जनगणना मकानों में रहने वाले परिवारों से उनके द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले पीने के पनी, बिजली व शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी पूछताछ की गई। परिवारों की, धारणाधिकार स्थिति, आकार व रहने के प्रयोग में आने वाले कमरों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की गई। जनगणना में प्रथम बार ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को उपलब्ध शौचालय सुविधाएं व भारत में रहने वाले समस्त परिवारों द्वारा प्रयुक्त, भोजन पकाने के ईंधन के बारे में प्रश्न पूछे गये।

इस प्रतिवेदन में, भारत, राज्य व संघशासित प्रदेशों में अनुमानित मकानों की कमी के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" परिवारों को बिजली, सुरक्षित पीने का पनी व शौचालय सुविधाओं की ग्राहित के आंकड़े इस आशय के साथ प्रदर्शित किए गये हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकार द्वारा प्रदत्त रियायतों के बावजूद यह सुविधाएं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को किस सीमा तक प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आर्थिक सूचकांक जैसे परिवार की धारणाधिकार स्थिति, परिवार द्वारा रहने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले कमरों की संख्या को राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाया गया है। खाना पकाने के लिये परिवार द्वारा प्रयुक्त ईंधन के आधार पर सभी परिवारों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों की प्रतिशत्ता को राष्ट्रीय/राज्य/संघशासित प्रदेश स्तर पर प्रस्तुत किया गया है।

यह रिपोर्ट जन-अध्ययन प्रभाग में कार्यस्त श्री क०सु० नटराजन, भारत के उप-महाराजिस्ट्रर व श्री फूल सिंह, उप-निवेशक, जनगणना कार्य द्वारा तैयार की गई। इस उपयोगी प्रकाशन को समय पर प्रकाशित करने के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यह प्रकाशन इस संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। सर्वश्री क० नारायणन उण्ण, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, हरि कृष्ण कौशल व प्राणनाथ शर्मा अन्वेषकों द्वारा आंकड़ों का संगणकीकरण, श्री नरेश चन्द, सार्विकी सहायक द्वारा सारणीकरण में सहयोग व श्री नरेन्द्र कुमार जैन, ग्रूफ संशोधक द्वारा हिन्दी में केमरा रेडी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए, किये गये प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ।

नई दिल्ली
दिसंबर 20, 1993

अमूल्य रत्न नन्द
भारत के महाराजिस्ट्रर
एवं जनगणना आयुक्त

विषय सूची

शीर्षक	पृष्ठ संख्या
प्रक्रियन	i
मूल सूचकांक	vii
मुख्य परिणाम	viii
उद्धार्य	
1. प्रस्तावना	1-2
2. मकानों की उफलब्धता	3-20
3. परिवारों की आर्थिक विशिष्टताएं	21-28
द्वितीय संड	
सारणीय व परिशिष्ट	
2.1 पक्के, अधफ्के व कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रिमाजन 1981-1991 - भारत, राज्य व संघ राज्यक्षेत्र	31
2.2 पक्के, अधफ्के व कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रिमाजन 1981-1991 - ग्रामीण क्षेत्र	32
2.3 पक्के, अधफ्के व कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रिमाजन 1981-1991 - शहरी क्षेत्र	33
2.4 1991- जनगणना मकान सूची पर आधारित भारत/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कमी के अनुमान	34-35
2.5 1991- जनगणना मकान सूची पर आधारित भारत/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी के अनुमान	36-37
3.1 पिने का सुरक्षित पानी उपयोग करने वाले परिवारों की प्रतिशतता - 1981 व 1991	38

3.2	पिने का सुरक्षित पनी उपभोग करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य के परिवारों की प्रतिशत्ता - 1991	39
3.3	बिजली उपभोग करने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता - 1981 व 1991	40
3.4	बिजली उपभोग करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और "अन्य" के परिवारों की प्रतिशत्ता - 1991	41
3.5	शौचालय सुविधाभोगी परिवारों की प्रतिशत्ता 1981 व 1991	42
3.6	शौचालय सुविधाभोगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के परिवारों की प्रतिशत्ता - 1991	43
3.7	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के बिजली व शौचालय सुविधाएं भोगी परिवारों की प्रतिशत्ता - 1991	44
3.8	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के पिने योग्य सुरक्षित पनी व शौचालय सुविधाएं उपभोग करने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता - 1991	45
3.9	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के बिजली व पिने के सुरक्षित पनी का उपभोग करने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता - 1991	46
3.10	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के बिजली, सुरक्षित पिने का पनी व शौचालय सुविधाओं का उपभोग करने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता - 1991	47
3.11	तीनों सुविधाओं से वीचत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के परिवारों की प्रतिशत्ता - 1991	48
3.12	भोजन पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर परिवारों का प्रतिशत विभाजन	49-52
3.13	भोजन पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत विभाजन	53-56

3.14 भोजन पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत विभाजन	57-59
3.15 भोजन पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर "अन्य" के परिवारों का प्रतिशत विभाजन	60-63

परीक्षण- I मकानसूचीकरण की समय सारणी ~ 1991

परीक्षण- II मकानसूची {प्रपत्र} - 1991

मूल सूचकांक - आवास पर्वम् सुविधाएं - जनगणना 1991 - भारत

विशेषताएं	ग्रामीण	शहरी	योग
1. जनगणना मकानों की संख्या ₹10 लाख में	142 • 98	52 • 04	195 • 02
2. पूर्णतः/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या ₹10 लाख में	108 • 48	38 • 74	147 • 22
3. रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता			
पक्का मकान	30 • 59	72 • 75	41 • 61
कठ्ठा मकान	33 • 76	9 • 56	27 • 44
अधिपक्का मकान	35 • 65	17 • 69	30 • 95
4. मकानों की अनुमानित कमी ₹10 लाख में	13 • 73	4 • 77	18 • 50
5. अनुसूचित जाति के परिवारों का प्रतिशत जिन्हें उपलब्ध है			
पिने क्रा सुरक्षित पानी	59 • 84	80 • 59	63 • 60
बिजली	21 • 84	56 • 32	28 • 10
शौचालय	5 • 15	38 • 28	11 • 16
पिने का सुरक्षित पानी व बिजली	14 • 71	47 • 60	20 • 68
बिजली व शौचालय	2 • 76	32 • 94	8 • 23
पिने का सुरक्षित पानी व शौचालय	3 • 35	32 • 34	8 • 61
पिने का सुरक्षित पानी, शौचालय व बिजली	1 • 86	28 • 08	6 • 62
कोई भी सुविधा नहीं	32 • 14	9 • 62	28 • 06
6. अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत जिन्हें उपलब्ध है			
पिने का सुरक्षित पानी	41 • 11	65 • 71	43 • 21
बिजली	19 • 70	55 • 93	22 • 80
शौचालय	4 • 10	40 • 68	7 • 22
पिने का सुरक्षित पानी व बिजली	10 • 00	39 • 15	12 • 49
बिजली व शौचालय	2 • 10	36 • 36	5 • 02
पिने का सुरक्षित पानी व शौचालय	2 • 02	28 • 16	4 • 25
पिने का सुरक्षित पानी, शौचालय व बिजली	1 • 14	25 • 64	3 • 23
कोई भी सुविधा नहीं	48 • 06	15 • 70	45 • 30
7. "अन्य" परिवारों का प्रतिशत जिन्हें उपलब्ध है			
पिने का सुरक्षित पानी	56 • 40	81 • 99	64 • 10
बिजली	34 • 62	79 • 30	48 • 06
शौचालय	11 • 52	68 • 38	28 • 63
पिने का सुरक्षित पानी व बिजली	21 • 07	66 • 75	34 • 82
बिजली व शौचालय	8 • 26	64 • 03	25 • 04
पिने का सुरक्षित पानी व शौचालय	6 • 73	57 • 92	22 • 13
पिने का सुरक्षित पानी, शौचालय व बिजली	4 • 88	54 • 57	19 • 83
कोई भी सुविधा नहीं	28 • 65	4 • 46	21 • 37

टिप्पणी : "अन्य" परिवारों का अर्थ है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़कर शेष परिवार।

मुख्य परिणाम

1. प्रति एक हजार परिवारों को उपलब्ध आवासीय मकानों की संख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण व शहरी दोनों अंचलों में मकानों की उपलब्धता बढ़ी है।
2. एक कमरे में रहने वाले परिवारों के अनुपात में कमी आई है जबकि दो या उससे अधिक कमरों में रहने वाले परिवारों का अनुपात बढ़ा है।
3. पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों के अनुपात में तीव्रता से वृद्धि हुई है तथा अधिकाधिक परिवार कच्चे मकानों को पक्के या फिर अधफक्के मकानों में तबदील कर रहे हैं।
4. सम्पूर्ण भारत में 5·2 लाख बेघर परिवार हैं, 38·9 लाख परिवार अन्य परिवारों के साथ जनगणना मकान में साझेदारी में रहते हैं और 114·5 लाख परिवार "मरम्मत के अयोग्य" कच्चे मकानों में रहते हैं। शहरी क्षेत्र में 26·4 लाख परिवार मरम्मत योग्य कच्चे मकानों में रहते हैं। यदि इन सभी परिवारों को मकान उपलब्ध कराने हो तो मकानों की कमी करीब 185·0 लाख होगी।
5. 1981 के मुकाबले 1991 में अपने मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता में वृद्धि हुई है। 1981 में 53·5 प्रतिशत शहरी परिवार अपने मकानों में रहते थे जबकि 1991 में यह प्रतिशत बढ़कर 63·1 प्रतिशत हो गया।
6. "पीने का सुरक्षित पानी" अर्थात् टूंटी, नल/नलकूप से उपलब्ध पीने के पानी की उपलब्धता 1981 के 37·91 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 62·72 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित जन-जाति को बराबर का फायदा नहीं मिला जबकि अनुसूचित जाति व "अन्य" अर्थात् अनुसूचित जाति व जनजाति को छोड़कर⁸ के परिवारों को सुविधा समान रूप में उपलब्ध है।
7. लगभग 42·98 प्रतिशत परिवारों को बिजली उपलब्ध है। अनुसूचित जाति व जनजाति के अलावा "अन्य" परिवारों को यह सुविधा अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों के मुकाबले कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है।
8. समस्त भारत के 8·84 प्रतिशत ग्रामीण परिवार, 63·58 प्रतिशत शहरी परिवार तथा 23·55 प्रतिशत कुल परिवार शौचालय सुविधा का उपयोग करते हैं।
9. कुल परिवारों में से हर छठे परिवार को "पीने का सुरक्षित पानी", बिजली व शौचालय तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि शहरों में 54·57 प्रतिशत "अन्य" परिवारों को यह सुविधाएं

उपलब्ध हैं उन्हें गांवों में मात्र 4088 प्रतिशत परिवारों को ही यह तीनों सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हैं।

10. जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति को छोड़कर शेष परिवारों में से प्रत्येक पांचवें परिवार को, सभी तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं वहीं अनुसूचित जाति के हर सोलहवें व अनुसूचित जनजाति के हर तीसवें परिवार को यह सुविधाएं उपलब्ध हैं।
11. 58.7 प्रतिशत "अन्य" परिवारों द्वारा लकड़ी को साना बनाने के लिए ईंधन के स्प में इस्तेमाल किया जाता है तत्पश्चात् उफला जो 15.05 प्रतिशत व रसोई गैस जो 10.13 प्रतिशत "अन्य" परिवारों द्वारा उपयोग की जाती है, का नम्बर आता है।

टिप्पणी: "अन्य" परिवारों का अर्थ है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़कर शेष परिवार।

प्रस्तावना

1.01 जनगणना मकान की करीब-करीब एक सी परिमाणा समस्त भारत में अपनाकर, भारतीय जनगणना में, मकानों से सम्बन्धित जानकारी मकानसूचीकरण के समय एकत्र करना 1961 से प्रारम्भ हुआ। यद्यपि मकान सूचीकरण का कार्य पूर्व की जनगणनाओं में भी होता था परन्तु समस्त भारत में एक सी जानकारी एकत्र ज़हरीं की जाती थी तथापि एकत्रित सूचनाओं को सारणीबद्ध नहीं किया गया था।

1.02 देश के विभिन्न राज्य व संघ शासित प्रदेशों में 1991 की जनगणना के प्रथम चरण में मकानसूची का कार्य ऑफल-सिटम्बर 1990 में सम्पन्न हुआ। परीशिष्ट-1 में मकान सूचीकरण का समय राज्य/संघ शासित प्रदेश वार दिया गया है।

1.03 मकानसूची के द्वारा मकानों का उपयोग, उनकी छत, फर्श व दीवारों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री, परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति या जनजाति का है, परिवार स्वयं के मकान में रहता है या किरायेदार है, परिवार के पास कितने कमरे रहने के लिए हैं तथा परिवार को उपलब्ध सुविधाएं जैसे पिने के फ़नी की आपूर्ति, बिजली, शौचालय एवं खाना फ़काने के लिए प्रयुक्त ईंधन से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई। प्रयुक्त प्रपत्र परीशिष्ट-11 पर दिया है।

1.04 शौचालय सुविधा की उपलब्धि से सम्बन्धित प्रश्न जो 1981 की जनगणना में केवल शहरी क्षेत्रों में पूछा गया था, 1991 की जनगणना में शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पूछा गया। प्रथम बार 1991 की जनगणना के दौरान खाना फ़काने में प्रयुक्त ईंधन से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया। आंकड़े संसाधन में देरी को कम करने के लिए मकानों की दशा व परिवारों को उपलब्ध सुख सुविधाएं सम्बन्धी जानकारी जोकि 1981 की जनगणना में परिवार अनुसूची के भाग-1 द्वारा एकत्रित की गई थी, 1991 की जनगणना के दौरान मकानसूची में सम्प्रसित कर ली गई।

जनगणना मकान की परिमाणा

1.05 जनगणना मकान एक भवन या भवन का वह भाग है जिसका अलग मुख्य प्रवेश द्वार है यह द्वार रास्ते पर या साझे के अहाते, बरामदे या जीने इत्यादि में हो सकता है किन्तु यह जनगणना मकान एक पृथक इकाई की तरह प्रयोग होना चाहिए या समझा जाना चाहिए। हो सकता है कि वह खाली हो या किसी तरह के उपयोग में आता हो। हो सकता है कि वह रहने के काम में आता हो या गैर-आवासीय उपयोग में या दोनों ही प्रकार के उपयोग में आता हो।

1·6 कुछ मामलों में जनगणना मकान की परिभाषा को अक्षरशः लागू करने में कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए, किसी नगरीय क्षेत्र में एक फ्लैट में पांच कमरे हैं और सामूहिक सीढ़िया आंगन से प्रत्येक कमरे में सीधे प्रवेश किया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार इन्हें पांच जनगणना मकान मानना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में निवास "उपयोग के एकत्व" (Singleness of use) को ध्यान में रखना चाहिए और पूरे फ्लैट को एक ही जनगणना मकान मानना चाहिए। दूसरी ओर, यदि दो अलग-अलग परिवार इन पांच कमरों में रह रहे हों, जिनमें से एक के पास तीन और दूसरे के पास दो कमरे हों तो पहले तीन कमरों को एक जनगणना मकान माना जाएगा और शेष दो कमरों को दूसरा जनगणना मकान। परन्तु यदि प्रत्येक कमरा अलग-अलग परिवार के पास हो, तो ऐसे प्रत्येक कमरे को अलग-अलग जनगणना मकान माना जाए।

1·7 होस्टल, होटल आदि के मामलों में यदि प्रत्येक कमरे का, जिनमें लोग रहते हैं, दरवाजा सामूहिक बरामदा, सीढ़ि, आंगन या सामूहिक कमरे की ओर खुलता हो, जैसा कि सामान्यतः पाया जाता है तो ऐसे मामलों में सम्पूर्ण होस्टल/होटल के भवन को एक जनगणना मकान माना जाएगा। परन्तु यदि ऐसे होस्टल/होटल में ऐसे आउट-हाउस या कोई संरचना हो, जिनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों या एक ही प्रयोजन के लिए किया जाता हो, तो मुख्य होस्टल/होटल से सम्बद्ध ऐसी प्रत्येक संरचना को पृथक जनगणना मकान माना जाएगा और उसे मुख्य भवन का उप-नम्बर दिया जाएगा। देश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा पाया जाता है कि एक परिवार के उपयोग में कई झोपड़ियाँ एक अहाते या चारदीवारी के अन्दर होती हैं। जबकि मुख्य निवास किसी एक झोपड़ी में होता है, अन्य झोपड़ियों को सोने के लिए, रसोई, स्नान-गृह, बैठक आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है ऐसी स्थिति में हालांकि प्रत्येक झोपड़ी एक अलग संरचना है लेकिन रहने के लिए वे एक ही इकाई हैं और इसलिए सामूहिक रूप से उन्हें एक ही जनगणना मकान माना जाएगा। फिर भी उस अहाते में यदि कुछ ऐसी झोपड़ियाँ भी हों जिनका उपयोग परिवार के रहने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता हो जैसे पशुओं के रहने के लिए शैड, काम करने के लिए शैड इत्यादि, तो उन्हें पृथक जनगणना मकान माना जाएगा। इस बात का भी पता लगाया जाता है कि इस प्रकार की इकाई एक ही परिवार के उपयोग में है या एक से अधिक के। यदि अहाते में एक से अधिक परिवार रहते हैं तो उनके उपयोग में आने वाली झोपड़ी समूहों को पृथक-पृथक जनगणना मकान माना जाता है।

जनगणना परिवार की परिभाषा

1·8 परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और यदि काम की जावश्यकता उन्हें मजबूर न करे तो एक ही रसोई में खाना खाते हैं। परिवार ऐसे व्यक्तियों का हो सकता है जिनका आपस में रक्त सम्बन्ध हो अथवा न हो। परिवार एक व्यक्ति का या एक से अधिक व्यक्तियों का हो सकता है।

मकानों की उपलब्धता

2.1 यहां जनगणना मकान का तात्पर्य सभी आवासीय, अंशतः आवासीय अथवा खाली मकानों से है। विवरण 2.1 में 1961 से मकानों की संख्या व उनकी वृद्धि दर दी गई है। विवेचना से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। 1961 की जनगणना में गोवा, दमन व दीव के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1981 में असम में जनगणना न हो सकी तथा 1991 में जम्मू व कश्मीर में जनगणना का कार्य नहीं हुआ। तुलनात्मकता की वज्रह से विवरण-2.1 के कालम 3 से 8 में दी गई संख्या में गोवा, दमन और दीव, असम तथा जम्मू एवं कश्मीर के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं परन्तु 1971, 1981 व 1991 के लिए कोष्ठक में दिए आंकड़ों में गोवा, दमन व दीव के आंकड़े सम्मिलित हैं।


विवरण-2.1

जनगणना मकानों की संख्या ॥१० लाख में० व उनकी वृद्धि दर- भारत

वर्ष	जनगणना	जनगणना मकानों की संख्या ॥१० लाख में०			दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर			
		के अनुसार	जम्मू कश्मीर, गोवा व दमन व दीव	मकानों की संख्या	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	
1961	107.89 * 104.44		85.99	18.45		13.60	10.14	29.70
					13.82	10.35	29.97	
1971	122.91	118.64	94.71	23.93		25.72	20.12	47.89
		118.87	94.89	23.89		25.73	20.11	47.96
1981	151.00	149.16	113.77	35.39		27.60	22.25	44.84
		149.45	113.97	35.48		27.60	22.22	44.87
1991	195.02	190.33	139.08	51.25				
		190.69	139.29	51.40				

* सिक्किम के आंकड़े सम्मिलित हैं।

2.2 मकानों की संख्या असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा गोवा, दमन व दीव को छेड़कर जोकि 1961 में ₹1044.4 लाख थी। 1991 में बढ़कर 1903.3 लाख हो गई अर्थात् 858.9 लाख मकानों की बढ़ोत्तरी, जोकि 82 प्रतिशत के बराबर है। 1961-91 के दौरान औसत घातीय वार्षिक वृद्धि दर 2.00 रही। 1981-91 के दशक में 411.7 लाख मकानों की बढ़ोत्तरी हुई जोकि पिछले तीन दशक में बढ़ोत्तरी के कर्तव 48 प्रतिशत के बराबर है।



2.3 1961-91 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की संख्या में बढ़ोत्तरी 62 प्रतिशत रही जबकि यह शहरी क्षेत्रों के लिए 178 प्रतिशत है। यद्यपि यह बढ़ोत्तरी केवल शहरी क्षेत्रों में मकान बनने के कारण ही नहीं बल्कि बढ़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र घोषित करने तथा कुछ ग्रामीण इलाकों का शहरों में विलय होने के कारण है तथापि बढ़ोत्तरी ध्यान देने योग्य है। 1961 में शहरों के मकानों का प्रतिशत भारत में 17.66 प्रतिशत था जोकि 1991 में बढ़कर 26.93 प्रतिशत हो गया।

2.4 देश के ग्रामीण क्षेत्रों व कुल क्षेत्रों में मकानों की संख्या में दशकीय वृद्धि का प्रतिशत 1981-91 में 1961-71 के मुकाबले प्रायः दोगुना हो गया। उच्च दशकीय वृद्धि जो 1971-81 के दौरान देखी गई, 1981-91 में बरकरार रही। सभी तीनों दशकों में शहरी क्षेत्रों में वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले अधिक रही। दशकीय प्रतिशत वृद्धि जो 1961-71 में 29.70 प्रतिशत थी बढ़कर 1971-81 में 47.89 प्रतिशत तथा 1981-91 में 44.84 प्रतिशत हो गई। मकानों की वार्षिक घातीय वृद्धि दर पिछले तीन दशकों के लिए शहरी क्षेत्रों में 3.41 प्रतिशत रही जबकि यही ग्रामीण क्षेत्रों में 1.6 प्रतिशत रही है।

2.5 पूर्व की जनगणनाओं की भाँति 1991 की जनगणना में भी "मकानों का उपयोग" के बारे में प्रश्न पूछा गया। वास्तविक उपयोग के आधार पर जनगणना मकानों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों, १५ पूर्णतः आवासीय, २५ अंशतः आवासीय, ३५ गैर-आवासीय व ४५ खाली, में किम्बत किया जा सकता है। खाली मकान का भी उपयोग बाद में उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी के लिये किया जा सकता है। विवरण-2.2 में पूर्णतः आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या एवं प्रतिशत दशकीय वृद्धि को दर्शाया गया है। इसे "मकानों का स्टाक" की संज्ञा दी जा सकती है।


विवरण-2 • 2

**आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या ₹10 लाख में॒ व उनकी दशकीय वृद्धि दर
1961-91, भारत ***

वर्ष	आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या				दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर		
	जनगणना	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1961	79.25	76.20	62.44	13.76			
					17.03	13.92	31.18
1971	92.94	89.18	71.13	18.05			
					24.18	18.04	48.37
1981	111.63	110.74	83.96	26.78			
					29.30	25.08	42.53
1991	147.22	143.19	105.02	38.17			

*कालम 3-8 में असम, जम्मू व कश्मीर, गोवा तथा दमन व दीव के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

2.6 1961-91 के दौरान आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की घातीय वार्षिक वृद्धि दर 2.10 प्रतिशत होने के कारण उनकी संख्या प्रायः दोगुनी हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि पिछले तीन दशक में 68 प्रतिशत रही जबकि शहरी क्षेत्रों में 177 प्रतिशत रही। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घातीय वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 1.73 प्रतिशत व 3.04 प्रतिशत रही।



2.7 आवासीय/अंशतः आवासीय जनगणना मकानों के "स्टक" में 1981-91 के दौरान 324.5 लाख मकानों की बढ़ोत्तरी हुई जबकि पूर्व के दशकों में अर्थात् 1971-81 व 1961-71 में क्रमशः 215.6 लाख व 129.8 लाख मकानों की बढ़ोत्तरी हुई। 1981-91 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि 210.6 लाख वह शहरी क्षेत्रों में 113.9 लाख रही। शहरी क्षेत्रों में इस वृद्धि का एक कारण ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र घोषित करना भी है।

2.8 जनगणना में मकान सूची के समय पाए गए "खाली" मकान सम्यान्तर में आवासीय/अंशतः आवासीय के रूप में प्रयोग किए भी जा सकते हैं और नहीं भी। यदि यह मान लिया जाय कि सभी खाली मकान कुछ समय पश्चात् आवासीय/अंशतः आवासीय उपयोग में लाए गए तो गैर आवासीय मकानों को छोड़कर शेष मकानों की संख्या विवरण-2.3 में दर्शायी गयी है।

विवरण-203


गैर आवासीय मकानों के अतिरिक्त, जनगणना मकानों की संख्या ₹10 लाख में
व उनकी वृद्धि दर 1961-91, भारत *

वर्ष	गैर आवासीय मकानों के अलावा जनगणना मकानों की संख्या			दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर		
	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7
1961	82·27	67·19	15·08			
				17·58	14·44	31·56
1971	96·73	76·89	19·84			
				22·64	16·52	46·37
1981	118·63	89·59	29·04			
				31·02	25·99	46·56
1991	155·43	112·87	42·56			

* असम, जम्मू व कश्मीर, गोवा तथा दमन व दीव के अंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

2·9 गैर आवासीय मकानों को छोड़कर शेष जनगणना मकानों की संख्या में वृद्धि आवासीय मकानों की संख्या में वृद्धि के मुकाबले काफी अधिक है।

2·10 "मकानों के स्टक" से सम्बन्धित अंकड़ों का विश्लेषण, बिना "परिवारों की संख्या" जाने कोई सास अर्थ नहीं रहेगा। प्रत्येक परिवार को रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है अर्थात् परिवार को रहने के लिये मकान तो अत्यावश्यक तौर पर चाहिये।



2·11 विवरण 2·4 में परिवारों की संख्या व उनमें 1961-71, 1971-81 व 1981-91 के दशक में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाया गया है।

2·12 इस अध्यारणा के साथ कि प्रत्येक परिवार के रहने के लिए एक मकान आवश्यक है, परिवारों की संख्या व आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या का अन्तर अपरिपूर्ण मांग के बराबर


है। 1990 में भारत और जम्मू व कश्मीर के अलावा में परिवारों की संख्या 1511·1 लाख तथा आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या 1472·2 लाख, 38·90 लाख आवासीय मकानों की कमी इंगत करती है।

विवरण-2·4

परिवारों की संख्या 10 लाख में व दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर- भारत

वर्ष	जनगणना परिवारों की संख्या और असम, जम्मू व के अनुसार कश्मीर, गोवा और दमन दीव को परिवारों की छोड़कर संख्या			दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर			
	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	
1	2	3	4	5	6	7	8
1961	84·41	81·70	66·40	15·30			
					14·71	12·92	22·48
1971	97·09	93·72	74·98	18·74			
					25·34	18·95	50·91
1981	118·61	117·47	89·19	28·28			
					25·20	21·22	37·73
1991	151·11	147·07	108·12	28·95			

2·13 इस अनुमान के संदर्भ में तीन सीमाओं का ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रथमतः मकान सूचीकरण के समय बेघरवार परिवारों की गिनती नहीं की जाती है। 1991 की जनगणना के दौरान बेघरवार परिवारों की संख्या 5·2 लाख है जिनमें से 3·0 लाख ग्रामीण क्षेत्रों तथा 2·2 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यदि इन परिवारों को भी शामिल करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 44·1 लाख मकानों की कमी है। दूसरी सीमा जनगणना मकान की परिभाषा को लेकर है जिसमें मकान के स्तर का कोई जिक्र नहीं है। यदि किसी आश्रय की तलाश में कोई परिवार घास-फूस व फूतों आदि से झोपड़ी बनाकर रहने लगता है तो जनगणना में उस झोपड़ी को मकान मानते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि रहने योग्य मकान का कोई मापदण्ड नहीं है। जैसाकि



बाद के पृष्ठों पर देखने को मिलेगा कि छत व दीवारों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के आधार पर मकानों को कट्टा, अधिक व पक्का श्रेणी में रखा गया है। तीसरी सीमा रेखा क्षेत्रीय इकाई के स्तर पर अनुमान इस्तेमाल करने से है क्योंकि जहां परिवार रहता हो संभवतः वहां उसका मकान न हो। यह भी संभव है कि एक क्षेत्रीय इकाई के स्तर पर मकानों की उपलब्धता अधिक हो जबकि दूसरी जगह कम। केवल आधारभूत प्रशासकीय इकाई के स्तर से तैयार "कमी" के आंकड़ों से ही सही चित्रण किया जा सकता है।

2.14 मकानों की कमी किस हद तक है, यह जानने के लिए एक सूचकांक की गणना की गई। प्रति 1000 परिवारों को उपलब्ध मकानों की संख्या ₹आवासीय/अंशतः आवासीय₹ को "मकानों को उपलब्धता का सूचकांक" परिपापित किया है। सूचकांक का 1000 से कम मूल्य, मकानों की कमी दर्शाता है। अतः 1000 से सूचकांक का विचलन मकानों की कमी या अधिकता का मापक है।

2.15 1961 की जनगणना के अनुसार 1000 परिवारों को उपलब्ध मकानों की संख्या 933 थी जोकि 1991 में बढ़कर 974 हो गई। यह इस बात का सूचक है कि पिछले तीन दशकों में मकानों की उपलब्धता में बढ़तरी हुई है और यह बढ़तरी शहरी क्षेत्रों में अधिक तीव्रता से हुई है जहां 1961 में सूचकांक 899 से बढ़कर 1991 में 980 हो गया है। ₹कृप्या देखें विवरण-2.05।

विवरण-2.05 मकानों की कमी का सूचकांक *

वर्ष	योगिक			ग्रामीण			नगरीय		
	आवासीय / अंशतः	परिवार	सूचकांक	आवासीय अंशतः	परिवार	सूचकांक	आवासीय / अंशतः	परिवार	सूचकांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1961	76.20	81.70	933	62.44	66.40	940	13.70	15.30	899
1971	89.13	93.72	952	71.13	74.98	949	18.05	18.74	963
1981	110.74	117.47	943	83.96	89.19	941	26.78	28.28	947
1991	143.19	147.07	974	105.12	108.12	971	38.17	38.95	980

*प्रति 1000 परिवारों को उपलब्ध आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या।

टिप्पणी : सारिणी में दिए गए आंकड़ों में असम, जम्मू व कश्मीर, गोवा और दमन व दीव के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

आवासों का स्तर

परिवार के पास रहने के कमरों की संख्या

2.16 अभी तक परिवारों को उफलब्ध मकानों के सम्बन्ध में बिना उनके स्तर पर ध्यान दिए चर्चा की गई है। रहने के लिए उफलब्ध स्थान अथवा उफलब्ध कमरों की संख्या भी मकान के स्तर का महत्वपूर्ण पहलू है। विवरण 2.6 में परिवारों की संख्या का प्रतिशत क्रियाजन, प्रयुक्त कमरों की संख्या के अनुसार दिखाया गया है।

विवरण-2.6

उपयोग में आने वाले कमरों की संख्या के अनुसार परिवारों का प्रतिशत क्रियाजन 1961-91

कमरों की संख्या	जनगणना वर्ष			
	1961 1	1971 2	1981 3	1991 5
योग				
1 - कमरा	49.00	47.82	44.72	40.49
2 - कमरे	26.43	28.17	28.62	30.58
3 - कमरे	11.31	12.00	12.22	13.85
4 - कमरे	5.85	5.98	6.31	7.14
5 + कमरे	5.96	5.94	5.78	7.02
अज्ञात*	1.45	0.09	2.35	0.92
ग्रामीण				
1 - कमरा	48.12	47.27	44.28	40.82
2 - कमरे	26.81	28.47	28.87	30.65
3 - कमरे	11.53	12.14	12.23	13.50
4 - कमरे	5.96	6.04	6.30	6.92
5 + कमरे	6.01	6.02	5.80	7.05
अज्ञात*	1.57	0.06	2.42	1.06
नगरीय				
1 - कमरा	53.05	50.01	45.80	39.55
2 - कमरे	24.66	26.93	27.84	30.37
3 - कमरे	10.29	11.42	12.21	14.82
4 - कमरे	5.35	5.71	6.33	7.77
5 + कमरे	5.76	5.64	5.70	6.97
अज्ञात*	0.89	0.20	2.12	0.52

*अज्ञात का अर्थ है अज्ञात या कोई नहीं।

2·17 उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि देश के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में एक कमरे में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता में कमी आई है तथा दूसरी ओर दो, तीन, चार या पाँच कमरों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में 1961 में 53·05 प्रतिशत परिवार एक कमरे में रह रहे थे जबकि यह प्रतिशत 1981 में 45·80 तथा 1991 में 39·55 प्रतिशत था। जहां एक और प्रतिशतता में गिरावट आई है वहीं यह तथ्य भी स्पष्ट है कि एक कमरे में रहने वाले परिवारों की शुद्ध संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 1961-91 के दौरान 70 लाख की है क्योंकि ऐसे परिवारों की संख्या 1961 में 80 लाख थी जो बढ़कर 1991 में 150 लाख हो गई है।

दीवार व छत में प्रयुक्त निर्माण सामग्री

2·18 "मकानों के स्टक" की गुणवत्ता का अन्य मुख्य पहलू छत, दीवारों व फर्श में प्रयुक्त निर्माण सामग्री है। नवीनतम् जनगणनाओं में छत व दीवारों में प्रयुक्त सामग्री के विषय में जानकारी एकत्रित की जाती रही है।

दीवारों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री

2·19 ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के पश्चात् पक्की ईंटें, घास, फत्ता, सरकंडे अथवा बांस व पत्थर मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में दीवार बनाने में प्रयोग की जाती है इविवरण 2·7॥ उपरोक्त सामग्री 90 प्रतिशत से अधिक मकानों की दीवार बनाने में प्रयोग की जाती है। 1991 की जनगणना में ऐसे मकानों का प्रतिशत, जिनकी दीवार मिट्टी की बनी है 1981 के मुकाबले कम हुआ है। पक्की ईंटों का बढ़ता प्रचलन, मकानों की अच्छी गुणवत्ता की तरफ संकेत करता है।

2·20 शहरी क्षेत्रों में 61·8 प्रतिशत मकानों की दीवार बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। 12·3 प्रतिशत मकानों की दीवारें मिट्टी की बनी थीं अन्य सभी निर्माण सामग्रियां अलग-अलग रूप में 10 प्रतिशत से कम मकानों की दीवारों में प्रयोग में लाई गईं। शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को जोड़ने पर मिट्टी व पक्की ईंटें, मकानों की दीवार बनाने के लिए मुख्य निर्माण सामग्री रहीं। उसके बाद घास, फत्ती, सरकंडे, बांस व पत्थर का नम्बर आता है। इन सभी निर्माण सामग्रियों को 90 प्रतिशत मकानों की दीवारें बनाने में इस्तेमाल किया गया।

विवरण-2 • 7

दीवार में लगी निर्माण सामग्री के अनुसार उनमें रहने वाले 1000 परिवारों का क्रमाजन

दीवार की सामग्री	योग		ग्रामीण		नगरीय	
	1981	1991	1981	1991	1981	1991
सभी सामग्रियां	1000	1000	1000	1000	1000	1000
घास, फूती, सरकंडे व बांस	111	103	127	122	61	52
मिट्टी	410	350	488	430	165	123
कच्ची इंटें	75	65	82	72	57	44
लकड़ी	11	10	9	8	16	13
पक्की इंटें	264	342	176	244	539	618
जी0आई0 शीट्स तथा अन्य	5	4	2	1	15	13
धातु की चादरें						
फ्ल्यर	101	101	107	110	81	78
सीमेंट कंकरीट	17	19	4	7	56	52
फ्लरा	-	1	-	2	-	1
सामग्री तथा अन्य सभी	6	5	5	4	10	6
अनिर्दिष्ट सामग्री						

छत में प्रयुक्त निर्माण सामग्री

2 • 21 ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत से अधिक मकानों की छत बनाने के लिए टाइल्स, स्लेट या शिगले और घास फूस फूती, सरकंडे, लकड़ी व कच्ची इंटों का इस्तेमाल किया जाता है ११विवरण 2 • 8 ४। शहरी क्षेत्रों में 30 प्रतिशत मकानों की छतें, कंकरीट व आर०बी०सी०/आर०सी०सी० की बनाई जाती हैं। एक चौथाई से ज्यादा मकानों की छतें टाइल्स, स्लेट और शिगले की बनी होती हैं तथा 20 प्रतिशत से अधिक मकानों की छतें इंटें, फ्ल्यर और चूने तथा घास फूस आदि की बनी होती हैं।

विवरण-2 • 8

छत में लगी निर्माण सामग्री के अनुसार उनमें रहने वाले 1000 परिवारों का क्रमाजन

छत की सामग्री	योग		ग्रामीण		नगरीय	
	1981	1991	1981	1991	1981	1991
1	2	3	4	5	6	7
सभी सामग्रियां	1000	1000	1000	1000	1000	1000
घास फूती, सरकंडे व बांस	386	313	454	380	172	122
खपरैल, स्लेट या पटरा/शिगले/	366	361	386	398	301	257

1	2	3	4	5	6	7
लोहे, जस्ते या अन्य धातु की नालीदार चादरें	48	58	38	50	80	80
एस्बेस्टस सीमेंट चादरें	16	28	8	14	41	68
ईट, फ्ल्यूर और चूना	71	78	51	68	136	105
फ्ल्यूर	19	25	14	20	34	38
कंकरीट आर0बी0सी/आर0सी0सी0	62	108	18	40	200	301
अन्य सब सामग्री और सामग्री नहीं बताई गई	32	29	31	30	36	29

2.22 जबकि 1981 की जनगणना के अनुसार शहरों में वाइल्स, स्लेट और शिगले छत बनाने की मुख्य सामग्री थे, 1991 की जनगणना के अनुसार कंकरीट, आर0बी0सी0/आर0सी0सी0 छत की मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में उभरे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंकरीट, आर0बी0सी0/आर0सी0सी0 मकान की छत बनाने की परम्परा में वृद्धि हुई है।


2.23 निर्माण सामग्री के आधार पर दीवार या छत का "पक्का" या "कच्चा" में वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण निम्न प्रकार से है :-

श्रेणी	निर्माण सामग्री
दीवार में लगी सामग्री	
कच्चा	घास, फ्ल्यूर, सरकंडे, बांस, मिट्टी, कच्ची ईट या लकड़ी।
पक्का	पक्की ईट, लोहे की जस्ती चादरें या अन्य धातु की चादरें, फ्ल्यूर, सीमेंट या कंकरीट।
छत में लगी सामग्री	
कच्चा	घास, फ्ल्यूर, सरकंडे, फूस, लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईट या बांस।
पक्का	खपैरल, स्लेट, पटरा, लोहे, जस्ते की नालीदार या अन्य धातु की चादरें, एस्बेस्टस सीमेंट चादरें, ईट, फ्ल्यूर एवं चूना, कंकरीट आर0बी0सी/आर0सी0सी0 व फ्ल्यूर।


2·24 1961 एवम् उसके पश्चात् की सभी जनगणनाओं में मकानों की छत में मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली सामग्री के आंकड़े प्रक्त्रित किये जाते रहे हैं। तथापि भिन्न-भिन्न जनगणनाओं में उनकी सारणियां प्रस्तुत करने में भिन्नता रही है। 1961 की जनगणना में आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों से सम्बन्धित आंकड़ों का सारणीकरण किया गया तथा छत व दीवारों की सामग्री को एक साथ लेकर सारणीबद्ध नहीं किया गया। 1971 की जनगणना में कम्प्यूटरों के प्रयोग के कारण इस तरह का सारणीकरण सभी जनगणना मकानों एवम् आवासीय मकानों के लिए किया गया। 1971 में यह सारणियां 20 प्रतिशत सेम्प्ल के आधार पर बनाई गई। 1981 की जनगणना में छत, फर्श व दीवार में प्रयोग की गई सामग्री की सूचना परिवार अनुसूची के भाग-। में इकट्ठी की गई थी। अतः यह उन्हीं इकाईयों से सम्बन्धित थी जिनमें परिवार रहते थे। अन्य मकानों के लिए यह सूचना फक्त नहीं की गई। 1971 में जिन राज्यों की आबादी एक करोड़ या उससे अधिक थी उनके लिए यह सारणियां 20 प्रतिशत सेम्प्ल के आधार पर तैयार की गई जबकि अन्य के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर।

2·25 1991 की जनगणना में मकान सूची के समय यह सूचना आवासीय तथा गैर आवासीय सभी मकानों के लिए फक्त की गयी। सभी बड़े राज्यों जिनकी आबादी एक करोड़ या अधिक थी के लिए सारणियां 20 प्रतिशत सेम्प्ल के आधार पर तैयार की गई तथा शेष के लिए शत-प्रतिशत आधार पर।

2·26 1981 व 1991 की दोनों जनगणनाओं में छत, फर्श व दीवारों इतीनों एक साथ में लगी सामग्री के अनुसार सारणियां बनाई गई हैं किन्तु आंकड़ों का विश्लेषण करते समय फर्श में लगी सामग्री को नज़र अंदाज कर दिया गया है।



छत में लगी मुख्य निर्माण सामग्री वाले मकानों में रहने वाले प्रति 1000 परिवारों
का विभाजन-1981, 1991



2.27 1961 व 1971 में एकत्र सूचनाओं के आधार पर विवरण 2.98 यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस दशक में छत में प्रयुक्त "कच्ची" व "पक्की" सामग्री के अनुपात में कोई अन्तर नहीं आया जबकि इसी दशक में दीवारों को "पक्की" सामग्री से बनाने का प्रचलन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहा है।

विवरण-2.9

प्रयुक्त निर्माण सामग्री के अनुसार आवासीय जनगणना मकानों की प्रतिशत्ता 1961-1971

सामग्री का प्रकार	ग्रामीण		नगरीय		योग	
	1961	1971	1961	1971	1961	1971
छत की सामग्री						
कच्चा	51.61	50.46	21.23	18.97	45.95	45.28
पक्का	48.39	49.54	78.77	81.03	54.05	54.72
दीवारों की सामग्री						
कच्चा	78.49	69.98	33.35	25.94	70.48	64.26
पक्का	21.51	30.02	66.65	74.06	29.52	35.74

2·28 जैसाकि पहले ही विवरण है कि 1971 व 1981 की जनगणना के दौरान मकानों की छत व दीवारों में मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में सूचना प्रक्रिति की गई थी। विवरण 2·10 में छत व दीवार बनाने में प्रयुक्त कच्ची व पक्की सामग्री के इस्तेमाल की तुलना की गई है। विवरण से यह स्पष्ट है कि मकान की छत व दीवारें बनाने में पक्की सामग्री का इस्तेमाल बढ़ है और यह प्रवृत्ति भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अधिक जान पड़ती है।

विवरण-2·10

प्रयुक्त निर्माण सामग्री के अनुसार जनगणना मकानों की प्रतिशत्ता, 1971 और 1991

सामग्री का प्रकार	ग्रामीण		नगरीय	
	1971	1991	1971	1991
दीवारों की सामग्री				
कच्चा	69·98	60·87	25·94	21·59
पक्का	30·02	39·13	74·06	78·41
छत की सामग्री				
कच्चा	50·46	38·56	18·97	11·59
पक्का	49·54	61·44	81·03	88·41

आवासीय जनगणना मकान

2·29 1971, 1981 की जनगणनाओं में आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों को दीवार व फर्श दोनों में लगी सामग्री के हिसाब से सारणीकरण किया गया है। अतः इससे सम्बन्धित आंकड़े तुलना करने के लिए उपलब्ध हैं। छत व दीवारों की सामग्री के आधार पर मकानों को कच्चा, पक्का और अधफका श्रेणियों में बांटा जा सकता है यदि छत व दीवारें अलग-अलग रूप में कच्ची सामग्री की बनी हैं तो मकान "कच्चा" और यदि दोनों अलग-अलग पक्की सामग्री की बनी हैं तो मकान "पक्का" अन्यथा अधफका कहलाएगा। कच्चे मकानों को भी "मरम्मत योग्य" और "मरम्मत के अयोग्य" दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यदि छत तथा दीवार दोनों ही घास, फ्लैट, सरकंडे या बांस आदि की बनी हो तो मकान "मरम्मत के अयोग्य" कच्चा मकान कहलाएगा। इस तरह के मकान योड़े समय के अन्तराल से दुबारा बनाने पड़ते हैं जलवायु के अनुसार यह मकान एक मौसम या एक वर्ष तक चल सकते हैं।

2·30 विवरण-2·11 से यह स्पष्ट है कि कुल आवासीय मकानों में पक्के मकानों का अनुपात नियमित रूप से बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी जनगणनाओं में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। 1981-91 के दशक में पक्के मकानों में 62·35 प्रतिशत, अधफकों में 17·19 और कच्चों में 3·56 प्रतिशत की बढ़ती है। जिसके परिणामस्वरूप 1971-81 के दशक के मुकाबले 1981-91 में पक्के मकानों का अनुपात अधिक तीव्र गति से बढ़ है। यह परिवर्तन ग्रामीण व

शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। पक्के मकानों के अनुपात में वृद्धि और एक कमरे में रहने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता में कमी से स्पष्ट है कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासीय स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। न केवल मकानों की उपलब्धता बढ़ी है बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है।

विवरण-2.11


कट्चे, पक्के और अधफ्के आवासीय जनगणना मकानों का प्रतिशत वितरण 1971-1991

वर्ष	योग			ग्रामीण			नगरीय		
	कट्चा	अधफ्का	पक्का	कट्चा	अधफ्का	पक्का	कट्चा	अधफ्का	पक्का
1971	37.43	34.66	27.91	43.57	37.5	18.13	12.76	23.25	63.99
1981*	34.04	33.29	32.67	40.55	36.93	22.53	13.5	21.8	64.7
1991*	27.44	30.96	41.61	33.76	35.55	30.59	9.56	17.69	72.75

*परिवारों से सम्बन्धित है।

मकानों की कमी के अनुमान

2.31 देश के 1511 लाख परिवारों में से 376.6 लाख परिवार ग्रामीण व 37.8 लाख परिवार शहरी क्षेत्रों के कट्चे मकानों में रहते हैं। इनमें से 103.1 लाख ग्रामीण परिवार व 11.4 लाख शहरी परिवार ऐसे कट्चे मकानों में रहते हैं जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती और जिन्हें एक मौसम या वर्ष के बाद पुनः बनाना पड़ता है। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखें तो मकानों की कमी बढ़कर 158.6 लाख हो जाती है। इस संख्या में 38.9 लाख वे परिवार जो साझेदारी करते हैं, 114.5 लाख परिवार जो मरम्मत के अयोग्य मकानों में रहते हैं तथा 5.2 वे परिवार जो बेघरवार हैं, सम्मिलित हैं। यदि "नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन" व योजना आयोग के मापदण्डों को ध्यान में रखें तो शहरी क्षेत्रों के वे परिवार जो मरम्मत योग्य कट्चे मकानों में रहते हैं की संख्या जोकी 26.4 लाख है को भी मकानों की कमी के आंकड़ों में सम्मिलित करना होगा तब यह संख्या बढ़कर 185 लाख हो जायेगी।



2·32 विवाहित युगल जिन्हें अलग से कमरे या मकान की आवश्यकता है तथा ऐसे मकान जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है से सम्बन्धित आंकड़े जनगणना में उपलब्ध नहीं हैं। नेशनल बिल्डिंग आर्मेनाइजेशन ने 1981 में इन दो मर्दों के तहत क्रमशः 14 लाख व 12 लाख मकानों की कमी का अनुमान लगाया था। यदि इन दोनों मर्दों को छोड़ दें तो उसके कमी के अनुमान घटकर 207 लाख रह जाते हैं इसके विपरीत 1990 में जनगणना के अनुसार अनुमान 185 लाख के हैं।

राज्य/संघ शासित प्रदेशवार तुलना

2·33 1981 की तुलना में 1991 में भारत में $\frac{1}{4}$ असम, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर $\frac{3}{4}$ पक्के मकानों की संख्या में 238 लाख की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का करीब 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व आन्ध्र प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से देश के एक-तिहाई हिस्से के बराबर हैं, में हुई है।

2·34 राष्ट्रीय स्तर पर $\frac{1}{4}$ असम, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर $\frac{3}{4}$ पक्के मकानों में रहने वालों का प्रतिशत जो 1981 में 32·73 था 1991 में बढ़कर 42·30 हो गया $\frac{1}{4}$ देखें सारणी-2·1 $\frac{1}{2}$ चण्डीगढ़ व दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में यह बढ़तरी हुई है। इन दोनों संघ शासित प्रदेशों में भी प्रतिशतता में गिरावट कम ही है। शायद: पक्के मकानों की प्रतिशतता की कमी का कारण इन दोनों संघ शासित प्रदेशों में प्रवासियों की संख्या में वृद्धि और उनके द्वारा स्लम में बढ़तरी है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन दो $\frac{1}{4}$ दिल्ली व चण्डीगढ़ को छोड़कर शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता में ही कमी नहीं हुई बल्कि कई राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 1981 के मुकाबले में 1991 में शुद्ध कच्चे मकानों की संख्या में भी कमी आई है। बड़े राज्यों में केवल उड़ीसा, बिहार व पश्चिमी बंगाल ही ऐसे राज्य हैं जिनमें कच्चे मकानों की संख्या में वृद्धि हुई है। अधपके मकानों के मामले में मिश्रित रूप है। असूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागलैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली व पाण्डुचेरी में अधपके मकानों की प्रतिशतता में 1981 के मुकाबले 1991 में बढ़तरी हुई है। इन सभी राज्यों में 1981 में कच्चे मकानों का प्रतिशत ऊंचा था जो 1981-91 में घट गया। यह इस बात का घोतक है कि कच्चे मकानों को अधपके मकानों में तबदील किया जा रहा है। शेष राज्यों में कच्चे व अधपके मकानों में भी प्रतिशतता में कमी आई है। अधपके मकानों की प्रतिशतता में कमी उनका पक्के मकानों में तबदील किया जाना हो सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि "मकानों के स्टाक" में वृद्धि के साथ-साथ उनकी गुणता में भी सुधार हो रहा है।

2·35 देश के ग्रामीण क्षेत्रों में $\frac{1}{4}$ असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर $\frac{3}{4}$ पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। पक्के मकानों के मामले में यह 1981 में 22·57 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 31·20 हो गई है जबकि कच्चे मकानों के सम्बन्ध में 1981 -91 में यह 40·56 प्रतिशत से घटकर 32·46 रह गई। अधपके मकानों में रहने वाले परिवारों की

प्रतिशत्ता 1981-91 के दौरान प्रायः स्थिर रही ४८ें सारणी-२०२४ चण्डीगढ़ व दादरा और नागर हवेली को छोड़कर 1981-91 के दौरान पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता में बढ़तरी हुई है जबकि कच्चे मकानों के सम्बन्ध में दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की प्रतिशत्ता में कमी आई है। जहां तक अधफके मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता का प्रश्न है इनमें मिश्रित रूप दिखलाई पड़ता है। 1981 के मुकाबले 1991 की जनगणना के इन आंकड़ों के लिये अस्थाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली तथा पाण्डिचेरी में वृद्ध हुई है और शेष में कमी आई है।

2.036 विवरण-२०१२ में राष्ट्रीय स्तर पर ४ असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर ५ कच्चे और अधफके मकानों में रहने वाले शहरी क्षेत्रों के परिवारों की प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाया गया है।

विवरण-२०१२

शहरी क्षेत्रों में पक्के, अधफके व कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता -
1981 व 1991 - भारत *

आवास का प्रकार	1981	1991
पक्का	६४.७२	७३.१०
अधफका	२१.८०	१७.५७
कच्चा	१३.४९	९.३३

* असम तथा जम्मू व कश्मीर के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

नगरीय क्षेत्रों में कच्चे, अधफके व पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों का विवरण

1981

1991



■ पक्का

■ अधफका

■ कच्चा

■ पक्का

■ अंधफका

■ कच्चा

2·37 राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी 1991 में 1981 की तुलना में कच्चे व अधपके मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता में कमी आई है तथा पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़ गया है।

2·38 सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में सिवाय मेघालय, नागालैण्ड, चण्डीगढ़ व दिल्ली में पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता बढ़ गयी है (सारणी-2·3)। कच्चे मकानों के संदर्भ में दिल्ली व चण्डीगढ़ को छोड़कर देश के शेष राज्य/संघ शासित प्रदेशों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता में कमी आई है। 1981 की तुलना में 1991 में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, दादरा व नागर हवेली और पाण्डुचेरी में अधपके मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रतिशतता में बढ़तरी हुई जबकि शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में इसमें कमी आई है।

2·39 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 2·04 व 2·05 सारणियों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत/राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर मकानों की कमी के अनुमान दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 12·24 प्रतिशत परिवारों की संख्या के बराबर मकानों की कमी का अनुमान है। यह अनुमानित कमी शहरों में 12·08 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों में 12·30 प्रतिशत के बराबर है। राज्य/संघ शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में अनुमानित कमी की उच्चतम सीमा 46·14 प्रतिशत, दादरा और नागर हवेली में तथा निम्नतम 2·62 प्रतिशत, सिक्किम में है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमाएं 75·39 प्रतिशत (अरुणाचल प्रदेश) से लेकर 1·54 प्रतिशत (हरियाणा) तक हैं। देश के 31 राज्य/संघ शासित प्रदेशों में से 14 के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा तथा 17 के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा मकानों की कमी का प्रतिशत अधिक है।

2·40 अनुमानित कमी के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विवरण 2·13 में दर्शाया गया है। विवरण से स्पष्ट है कि प्रदेश के अधिकांशतः उत्तर पूर्वी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की अनुमानित कमी 50 प्रतिशत से अधिक है।

2·41 देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में मकानों की कमी की अनुमानित प्रतिशतता का अधिक होने का कारण मकानों का "कच्चा", "पक्का" तथा "मरम्मत योग्य कच्चा" व "मरम्मत के अयोग्य कच्चा" आदि श्रेणियों में विभाजन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांशतः मकान वहाँ पर उपलब्ध निर्माण सामग्री धास, फली, सरकंडे, बांस और लकड़ी आदि के बने होते हैं। अतः उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इन आंकड़ों को इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में एक प्रकार का वर्गीकरण इस्तेमाल करने की निश्चित सीमाएं हैं।

विवरण-२ • १३

राज्य/संघ शासित प्रदेशों वार मकानों की कमी

प्रति शत कमी	ग्रामीण	शहरी
10 से कम	गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली व लक्ष्मीप	गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, लक्ष्मीप
10-20	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पाण्डिचेरी	बिहार, केरल, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब
20-30	—	आन्ध्र प्रदेश, असम, नागालैण्ड, दमन व दीव
30-40	बिहार, दादरा व नागर हवेली	अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, पाण्डिचेरी
40-50	मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन व दीप	मणिपुर, दादरा व नागर हवेली
50+	अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड	—

2 • 42 संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रति शत् ता में वृद्धि कुछ खास जगहों पर न होकर समस्त भारत में है और यह बद्देतरी शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में है। कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की प्रति शत् ता में निश्चित रूप से कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकानों की अनुमानित कमी करीब करीब बारह प्रति शत है।

अध्याय-३

परिवारों की आर्थिक विशेषताएं

3.1 1991 की जनगणना मकान सूची में आर्थिक विशेषताएं जैसे परिवार अपने मकान में रहता है या किराए के में, परिवार को उफलब्ध सुख सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की आपूर्ति, शौचालय सुविधा व खाना फ्राने में प्रयुक्त ईथन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। 1981 में इनमें से कुछ प्रश्न परिवार अनुसूची के भाग-1 में पूछे गए थे। उफलब्ध सूचनाओं के आधार पर बिजली, पानी और शौचालय सुविधाओं की 1981 व 1991 में उपलब्धता की तुलना की गई है।

परिवार की धारणाधिकार स्थिति :-

3.2 एक प्रश्न जो नवीनतम जनगणनाओं में लगातार पूछा जाता रहा है वह है परिवार की "किरायेदारी हैसियत" अर्थात् परिवार स्वयं के मकान में रहता है या किराए के में। यदि परिवार स्वयं के मकान में रहता है और किसी को किराए के रूप में कुछ भी अदा नहीं करता तो उसे स्वयं के मकान में रहने वाला समझा जाएगा और यदि वह किराए के मकान में रहता है तो उसे किरायेदार माना जाएगा।

3.3 1961 से लेकर 1991 तक की सभी जनगणनाओं में "मालिक" व "किरायेदार" स्थितियों को अवश्य मान्यता दी गई है हालांकि 1961 व 1991 में कुछ अन्तर रहे हैं। 1961 में जिन्होंने "धारणाधिकार की स्थिति" का उल्लेख नहीं किया उन्हें अलग श्रेणी में रखा। 1991 में एक नई श्रेणी "अन्य" जोड़ी गई। यदि परिवार न तो अपने मकान में रहता है और न किराया देता है तो उसे "अन्य" में रखा गया। पहले की जनगणनाओं में ऐसे परिवारों को "किरायेदार" की श्रेणी में रखा गया था। नीचे दिए गए विवरण में प्रति हजार परिवारों में से कितने स्वयं के मकान व किराए के मकान में रहते हैं दर्शाया गया है।

विवरण-3.1

एक हजार परिवारों का धारणाधिकार स्थिति के अनुसार क्रमांकन


वर्ष	ग्रामीण		नगरीय	
	अपना	किराए का	अपना	किराए का
1	2	3	4	5
1961	936	64	462	538
1971	938	62	471	529
1981	930	70	535	465
1991	945	40	631	341

3.4 देश के शहरी क्षेत्रों में अपने मकान में रहने वाले परिवारों का अनुपात नियमित रूप से बढ़ रहा है जबकि किराए में रहने वालों का घट रहा है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1981 के दौरान यह प्रवृत्ति अदृश्य थी।

पिने का सुरक्षित पानी :-

3.5 मकानसूचीकरण के समय पिने के पानी के श्रोत संबंधी प्रश्न को भरने के लिए परिवार से पूछा गया था कि वह पिने का पानी किसी कुएं से नल से या हैण्डप्पप/ट्यूबवेल से या नदी/नहर से या तालाब से या अन्य किसी श्रोत से लेता है। परिवार से यह भी पूछा गया था कि पिने का पानी अहाते में ही उफलब्ध है या बाहर। श्रोत के आधार पर पिने का पानी "सुरक्षित या असुरक्षित" माना गया। यदि परिवार पिने का पानी नल या हैण्डप्पप/ट्यूबवेल जो अहाते के अन्दर या बाहर हैं, से लाता है तो पानी को "सुरक्षित पिने का पानी", माना गया है। सारणी 3.1 में ऐसे परिवारों की प्रतिशत्ता राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार दी गई है जिन्हें "सुरक्षित पिने का पानी" उपलब्ध है।

3.6 राष्ट्रीय स्तर पर १५ असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर १५ पिने के सुरक्षित पानी की उपलब्धता 1981 की ३७.९१ प्रतिशत से बढ़कर 1991 में ६२.७२ प्रतिशत हो गई। अतः 1991 में भी एक-तिहाई से अधिक परिवारों को पिने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। "पिने के सुरक्षित पानी" की उपलब्धता में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में एछले दशक के दौरान वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि दोगुनी से अधिक अर्थात् 1981 की २६.३४ प्रतिशत से बढ़कर 1991 में ५५.९२ हो गई। शहरी क्षेत्रों में भी यह प्रतिशत्ता 1981 में ७४.१३ से बढ़कर 1991 में ८१.५९ प्रतिशत हो गई। इस सुधार के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर १५ असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर ४४ प्रतिशत ग्रामीण व १८.०४ प्रतिशत शहरी परिवार को "सुरक्षित पिने का पानी" उपलब्ध नहीं है।




3.7 नागालैण्ड, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह व चण्डीगढ़ के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर देश १५ असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर १५ के अन्य सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पिने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। नागालैण्ड व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक स्तर पर "सुरक्षित पिने के पानी" की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई जबकि चण्डीगढ़ में

इसमें कमी आई है। इससे पहले यह कहा जा चुका है कि चण्डीगढ़ में कच्चे मकानों की प्रतिशत्ता में बृद्ध हुई है। संभवतः चण्डीगढ़ के शहरी क्षेत्रों में नए "स्लम" क्षेत्रों का बनना सुविधाओं की प्राप्ति की प्रतिशत्ता में हुई कमी की विवेचना कर सकते हैं। इस कमी के बावजूद चण्डीगढ़ में 97·78 प्रतिशत परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध है जबकि दिल्ली में 95·78 प्रतिशत और पंजाब में 92·74 प्रतिशत परिवारों को ही यह सुविधा उपलब्ध है। बृहत् राज्यों एक करोड़ से अधिक आबादी वाले^१ में केरल में सुरक्षित पीने का पानी सबसे कम प्रतिशत परिवारों को उपलब्ध है। इसका कारण कुरं से उपलब्ध जल को सुरक्षित न मानना है जबकि केरल में यह मुख्य श्रोत है। यदि केवल नल से उपलब्ध पानी को ही सुरक्षित माना जाए तो इसकी प्रतिशत्ता केरल में 17·73 है जबकि संपूर्ण भारत के लिए 32·25 है।

3·8 1991 की जनगणना में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परिवारों को सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता की तुलना की जा सकती है। यदि परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो उन परिवारों को अनुसूचित जाति या जनजाति का परिवार कहते हैं शेष को "अन्य" की श्रेणी में रखा गया है।

3·9 राष्ट्रीय स्तर अनुसूचित जाति व "अन्य" के परिवारों को सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता की प्रतिशत्ता में कोई विशेष अन्तर नहीं है। "अन्य" परिवारों के मामलों में यह प्रतिशत्ता 64·10 है जबकि अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए यह 63·60 है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए उपलब्धता का प्रतिशत केवल 43·21 है (सारणी 3·2)





3·10 सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता के संबंध में फ़र्क विशेष प्रकार की क्षेत्रीयता देखी जा सकती है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा व तटीयलनाडु राज्यों में अनुसूचित जाति के परिवारों को "अन्य" परिवारों के मुकाबले ज्यादा तादाद से सुरक्षित पानी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश व बिहार में स्थिति इसके विपरीत है।

बिजली की उपलब्धता

3·11 भारत (जम्मू व कश्मीर के अलावा) में 42·37 प्रतिशत परिवारों को बिजली उपलब्ध है (सारणी 3·3) इस प्रतिशत्ता में करीब 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 1981 के

25·74 प्रतिशत से बढ़कर यह 1991 में 42·98 हो गई। जिन परिवारों को बिजली उपलब्ध है उनकी जनसंख्या 1981 में 26·7 प्रतिशत थी तथा 1991 में 45·7 प्रतिशत हो गई। अभी भी 57 प्रतिशत से अधिक परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 1981 में 61·60 प्रतिशत परिवारों को बिजली उपलब्ध थी जबकि 1991 में उपलब्धता का प्रतिशत 75·93 रहा। 1991 में शहर की 78 प्रतिशत जनसंख्या को बिजली की सुविधा उपलब्ध रही जबकि 1981 में यह केवल 63 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबंध में प्रगति आशाजनक नहीं रही। 1991 में भी 31·10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों द्वया 33·10 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या⁴ को बिजली उपलब्ध रही अर्थात् 69 प्रतिशत परिवार बिजली की सुविधा से वंचित रहे।

3·12 सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के ग्रामीण, नगरीय व सभी क्षेत्रों में त्रिपुरा नगरीय को छोड़कर⁵ ऐसे परिवार जिन्हें बिजली सुलभ है की प्रतिशतता में 1991 में 1981 के मुकाबले वृद्धि हुई है। अज्ञात कारणों से, त्रिपुरा के शहरी क्षेत्रों में 1981 में 92·10 प्रतिशत परिवारों को बिजली उपलब्धता घटकर 1991 में 80·43 प्रतिशत रह गई। एक सम्भावित कारण 10 ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र 12-शहर तथा 8-जनगणना शहर⁶ घोषित करना है। इस घोषणा के फलस्वरूप 1981-1991 में शहरी आबादी में 85·85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1981 की जनगणना वाले 10 - शहरों की 1991 की जनगणना के अनुसार 15 अनन्तिम आंकड़ों से⁷ शब्दों में त्रिपुरा की शहरी जनसंख्या का 1991 में बढ़ना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र घोषित करना रहा। साधारणतया: ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले बिजली की उपलब्धता कम होती है इसी वजह से 1991 में 1981 के मुकाबले परिवारों को बिजली की उपलब्धता का प्रतिशत कम रहा। सारणी से यह स्पष्ट है कि बिहार राज्य में बिजली की उपलब्धता न्यूनतम व लक्षणीय में अधिकतम रही। बिहार व उत्तर प्रदेश दोनों में 1981 में 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत परिवारों को बिजली उपलब्ध थी तेकिन 1991




में उत्तर प्रदेश में तो यह प्रतिशतता बढ़कर 10.96 हो गई जबकि बिहार में केवल 5.57 ही हो पाई। हिमाचल प्रदेश में इस सिलसिले में बढ़ती आशातीत रही।

3.0.13 सारणी 3.0.4 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" परिवारों को बिजली की उपलब्धता का प्रतिशत दर्शाया गया है कि निससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर "अन्य" परिवारों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति परिवारों के मुकाबले अत्यधिक बिजली की सुविधा प्राप्त है। यह बात ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सत्य है। अनुसूचित जनजाति के मुकाबले अनुसूचित जाति के परिवारों को १५५% सिक्किम व उत्तर प्रदेश को छोड़कर, यह सुविधा अधिक मात्रा में उपलब्ध है। सिक्किम व उत्तर प्रदेश में तो अनुसूचित जनजाति के परिवारों को यह सुविधा "अन्य" परिवारों के मुकाबले में अधिक प्राप्त है। इस संबंध में यह बात ध्यान में रखने की है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जन जाति के परिवारों का प्रतिशत केवल 0.21 है जबकि अनुसूचित जन जाति के लोग सिक्किम जनसंख्या का 71.71 प्रतिशत है।

शौचालय सुविधाएं

3.0.14 प्रथम बार 1991 की जनगणना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अहाते के अन्दर शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रक्रित की गई। शहरी क्षेत्रों के लिए यह जानकारी 1981 में भी प्रक्रित की गई थी। 1990 में भारत (असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) में केवल 23.55 प्रतिशत परिवारों (या 26.1 प्रतिशत जनसंख्या) को ही यह सुविधा प्राप्त है। ग्रामीण क्षेत्र के केवल 8.84 प्रतिशत परिवारों को तथा शहरी क्षेत्रों के 63.58 प्रतिशत परिवारों को अहाते के अन्दर शौचालय सुविधा प्राप्त है। (सारणी 3.0.5)। आबादी के हिसाब से 11.4 प्रतिशत ग्रामीण व 66.0 प्रतिशत शहरी ही इस सुविधा का उपयोग करते हैं।

3.0.15 केवल शहरी क्षेत्रों में परिवारों को उपलब्ध शौचालय सुविधाएं 1981 के 57.44 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 1991 में 63.58 प्रतिशत हो गई। 1981 में 24.52 प्रतिशत मिजोरम के शहरी परिवार इस सुविधा का उपयोग करते थे परन्तु 1991 में 84.44 प्रतिशत को यह सुविधा प्राप्त है। त्रिपुरा में भी यह सुविधा 95 प्रतिशत परिवारों से अधिक को प्राप्त है। दिल्ली व चण्डीगढ़ जैसे महानगरों में भी यह सुविधा क्रमशः 66.64 प्रतिशत व 79.77 प्रतिशत परिवारों को ही उपलब्ध है।




3.16 सारणी 3.06 में देश, राज्य व संघशासित प्रदेशों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" परिवारों को उपलब्ध इस सुविधा के आंकड़े दिए गए हैं। सारणी से यह स्पष्ट है कि देश (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) व अधिकतर राज्यों/संघशासित प्रदेशों में यह सुविधा "अन्य" परिवारों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अपवाद के रूप में हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर व उनके ग्रामीण क्षेत्र तथा मणिपुर, मिजोरम व सिक्किम के शहरी क्षेत्र मुख्य हैं। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम के शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों को (प्रतिशत्ता के रूप में) यह सुविधा अनुसूचित जाति के परिवारों से अधिक तादाद में उपलब्ध है।


पक्ष से अधिक सुविधा भोगी परिवार

3.17 वे परिवार जिन्हें पानी, बिजली तथा शौचालय तीनों सुविधाएं प्राप्त हैं निश्चित रूप से अधिक सम्पन्न होते हैं, उनके मुकाबले, जिन्हें कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। इस पहलू को ध्यान में रखकर 1991 में परिवारों का वर्गीकरण तीनों सुविधाओं को मद्दे नज़र रखकर किया गया। यह जांच करना उचित होगा कि कितने प्रतिशत परिवारों को तीनों सुविधाएँ, कोई पक्ष सुविधा अथवा "कोई भी सुविधा नहीं" उपलब्ध है। सारणी 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 में उपरोक्त सूचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा "अन्य" परिवारों के विषय में दी गई हैं।

3.18 भारत में लगभग प्रति छ: परिवारों में से पक्ष परिवार को तीनों सुविधाएं अर्थात् बिजली, पानी व शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अन्तर स्थानांतरिक होते हुए भी आश्चर्यजनक है। जबकि 50.57 प्रतिशत शहरी "अन्य" परिवारों को यह तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं वही केवल 4.88 प्रतिशत "अन्य" ग्रामीण परिवारों को ही यह सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारणी 3.10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य परिवारों से संबंधित तुलनात्मक सूचना उपलब्ध है। भारत में अनुसूचित जाति के सोलह परिवारों में से केवल पक्ष परिवार, तथा अनुसूचित जनजाति में तीस परिवारों से केवल पक्ष परिवार को तथा "अन्य" में पांच परिवारों में से पक्ष परिवार को यह तीनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधाओं का अभाव ही मुख्य रूप से तीनों सुविधाएँ भोगने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता की दर कर होने का मुख्य कारण है।



3·19 जब अनुफलब्धता का प्रश्न आता है तो 45·30 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति परिवारों 28·06 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों तथा 21·37 प्रतिशत अन्य परिवारों को तीनों जन सुविधाओं में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। {सारणी 3·11} शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 15·70 प्रतिशत, 9·62 प्रतिशत और 4·46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व "अन्य" के परिवारों को तीनों जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कुल मिला कर भारत में 24·54 प्रतिशत को व उसके ग्रामीण क्षेत्रों में 31·32 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 5·42 प्रतिशत परिवारों को कोई भी जन सुविधा उपलब्ध नहीं है।



प्रोजेक्शन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन के अनुसार परिवारों का वर्गीकरणः


3.20 1991 की जनगणना में पहली बार भोजन फकाने हेतु ईंधन के प्रयोग के विषय में जानकारी स्क्रिप्ट की गई। आठ प्रकार का ईंधन उपला, बिजली, कोल/कोक/लिगनेट, लकड़ी का कोयला, खाना फकाने की गैस, लकड़ी, बायो गैस, मिट्टी का तेल तथा अन्य के बारे में विशेष स्पष्ट से जानकारी प्राप्त की गई। विवरण 3.2 में तीन प्रकार का ईंधन जो अधिकतर भोजन बनाने के उपयोग में लाए जाते हैं को प्रतिशतता के आधार पर कमबद्ध किया गया है।

विवरण-३•२

परिवार का प्रकार	वरीयता क्रम
सभी	लकड़ी
	₹ 61 • 52 ₹
अनुसूचित जाति	लकड़ी
	₹ 63 • 73 ₹
अनुसूचित जनजाति	लकड़ी
	₹ 87 • 71 ₹
"अन्य"	लकड़ी
	₹ 58 • 07 ₹
उपले	खाना पकाने की गैस
	₹ 15 • 39 ₹
उपले	मिट्टी का तेल
	₹ 21 • 42 ₹
उपले	मिट्टी का तेल
	₹ 5 • 06 ₹
उपले	खाना पकाने की गैस
	₹ 15 • 05 ₹
	₹ 7 • 93 ₹

3.21 भोजन बनाने हेतु लकड़ी को मुख्य रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसके पश्चात् उफला एवं साना फकाने की गैस का नम्बर आता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों में साना फकाने के लिये लकड़ी, उफला का प्रयोग प्रथम व द्वितीय नम्बर पर किया जाता है। सारणी 3.12 में परिवारों का प्रतिशत क्रिमाजन, ईंधन के प्रयोग के अनुसार व ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के अनुसार दर्शाया गया है। सारणी 3.13, 3.14 व 3.15 में इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" की प्रतिशतता दर्शाइ गई है। उपरोक्त सारणियों में यह स्पष्ट है कि साधारणतया सभी राज्यों व संघ राज्यों में केवल दिल्ली, चण्डीगढ़ संघ राज्य को छोड़कर तथा सभी परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों में लकड़ी ईंधन के रूप में मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाती है। उन दो संघ राज्यों में साना फकाने की गैस व मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है उपर्योग विशेषतया बिहार, हरियाणा, झजाब व उत्तर प्रदेश में किया जाता है और वह भी विशेषतया अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों में अधिक मात्रा में किया जाता है। बिहार राज्य में एक चौथाई से अधिक शहरी परिवार तथा परिवार बंगल के आधे से अधिक शहरी परिवार कोल/कोक/सिंगनेट का साना बनाने के लिये ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अनुसूचित जनजाति के परिवार अत्यधिक मात्रा में लकड़ी को साना बनाने के ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं।

साना बनाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन के अनुसार परिवारों का अनुपातिक क्रिमाजन



सारण्यां व परिशिष्ट

सारणी-२०१

पक्के, अधफके व कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत

विभाजन 1981-1991 - भारत, राज्य व संघ राज्यक्षेत्र

भारत/राज्य/ संघशासित प्रदेश	पक्का		अधफका		कच्चा	
	1981 1	1991 2	1981 4	1991 5	1981 6	1991 7
भारत*	32.67	41.61	33.29	30.95	34.04	27.44
भारत **	32.73	42.30	33.24	31.36	34.03	26.33
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	26.22	38.41	24.18	22.58	49.60	39.01
आसाम	7.48	14.94	11.64	11.72	80.88	73.34
आसम	उ० न०	14.62	उ० न०	15.16	उ० न०	70.22
बिहार	23.64	30.18	40.10	36.00	36.26	33.82
गोवा	32.45	50.70	57.44	44.47	10.11	4.82
गुजरात	48.96	56.93	42.12	39.01	8.92	4.06
हारयाणा	39.82	50.14	35.85	35.73	24.33	14.13
हिमाचल प्रदेश	43.94	53.03	45.14	40.99	10.92	5.99
जम्मू और कश्मीर	26.20	उ० न०	40.01	उ० न०	33.79	उ० न०
कर्नाटक	29.33	42.55	44.89	40.90	25.78	16.55
केरल	38.80	55.97	20.33	19.13	40.87	24.90
मध्य प्रदेश	25.02	30.47	66.30	64.87	8.68	4.66
महाराष्ट्र	39.63	52.20	40.22	36.14	20.14	11.67
मणिपुर	3.42	5.40	18.89	40.65	77.69	53.95
मेघालय	11.29	13.30	26.87	33.72	61.84	52.98
मिजोरम	7.30	19.10	22.72	42.52	69.98	38.38
नगालैण्ड	10.18	12.62	21.92	36.47	67.90	50.91
उड़ीसा	13.00	18.71	18.53	22.06	68.47	59.23
पंजाब	58.12	76.97	16.11	11.07	25.77	11.96
राजस्थान	49.08	56.13	25.14	22.94	25.78	20.93
सिक्किम	18.16	26.95	35.51	39.11	77.00	33.94
तमिलनाडु	36.62	45.54	18.15	18.03	45.23	36.44
त्रिपुरा	3.61	5.50	8.41	20.71	87.98	73.79
उत्तर प्रदेश	29.29	41.03	35.07	30.34	35.62	28.63
पश्चिम बंगाल	28.40	32.61	26.03	29.38	45.57	38.01
संघ राज्यक्षेत्र						
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	4.00	10.40	43.43	47.25	52.57	42.35
चण्डीगढ़	84.42	82.49	8.61	8.42	6.97	9.10
दादरा व नागर हवेली	18.47	20.80	5.02	22.54	76.51	56.66
दमन व दीव	67.84	79.80	21.41	17.33	10.75	2.87
दिल्ली	88.73	85.60	6.08	4.61	5.19	9.79
लक्षद्वीप	61.17	88.84	34.90	9.04	3.92	2.12
पंडिचेरी	37.48	44.88	9.25	12.16	53.27	42.96

* 1981 में असम को छोड़कर व 1991 में जम्मू व कश्मीर को छोड़कर शेष भारत।

** असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-2 • 2

पक्के, अधिपक्के व कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत किमाजन 1981-91 -ग्रामीण क्षेत्र

भारत/राज्य/ संघशासित प्रदेश	पक्का		अधिपक्का		कच्चा	
	1981 1	1991 2	1981 4	1991 5	1981 6	1991 7
मारत *	22.53	30.59	36.93	35.65	40.55	33.76
मारत **	22.57	31.20	36.87	36.33	40.56	32.46
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	18.62	29.77	25.86	25.24	55.51	44.99
अरुणाचल प्रदेश	5.75	9.76	9.78	10.53	84.48	79.71
असम	उ० न०	10.53	उ० न०	13.37	उ० न०	76.09
बिहार	17.77	24.07	42.26	38.38	39.97	37.56
गोवा	25.62	41.58	62.55	52.36	11.84	6.06
गुजरात	36.42	43.42	52.66	51.61	10.91	4.97
हरियाणा	31.09	41.46	39.44	41.32	29.48	17.22
हिमाचल प्रदेश	41.02	49.75	47.32	43.86	11.66	6.39
जम्मू और कश्मीर	16.58	उ० न०	44.54	उ० न०	38.87	उ० न०
कर्नाटक	19.19	30.45	50.38	49.34	30.44	20.21
केरल	35.07	51.56	20.93	20.55	44.01	27.89
मध्य प्रदेश	16.97	20.93	73.11	73.79	9.92	5.28
महाराष्ट्र	25.78	35.37	47.27	47.36	26.95	17.27
मणिपुर	1.20	2.64	13.94	35.90	84.87	61.46
मेघालय	7.03	9.33	20.86	28.17	72.12	62.50
मिजोरम	1.61	2.86	13.77	35.68	84.63	61.45
नागालैण्ड	4.83	6.62	19.30	35.37	75.88	58.08
उड़ीसा	8.32	13.00	18.50	22.63	73.18	64.37
फ़ौजाब	49.59	72.14	17.03	12.26	33.28	15.60
राजस्थान	40.36	47.04	29.30	27.46	30.34	45.50
सिक्किम	11.20	22.13	35.31	40.43	53.48	37.43
तमिलनाडु	25.57	34.60	19.13	19.63	55.30	45.77
त्रिपुरा	1.43	1.91	6.41	17.35	92.16	80.74
उत्तर प्रदेश	21.56	32.70	37.55	33.60	40.89	33.70
पश्चिम बंगाल	11.96	15.74	28.62	34.17	59.41	50.10
संघ राज्यक्षेत्र						
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.09	7.91	31.48	37.48	65.44	54.61
चण्डीगढ़	60.70	58.66	26.57	22.68	12.73	18.66
दादरा व नागर हवेली	16.43	16.11	3.56	22.05	80.01	61.84
दमन व दीव	59.15	70.22	26.24	25.97	14.61	3.80
दिल्ली	67.90	86.63	26.70	5.87	5.40	7.50
लक्षद्वीप	49.75	83.91	45.94	13.50	4.31	2.59
पौड़िचेरी	25.47	27.17	9.42	14.85	65.11	57.98

* 1981 में असम को छोड़कर व 1991 में जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

** असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-2•3

पक्के, अधफ्के व कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों का प्रतिशत किमाजन 1981-1991-शहरी क्षेत्र

भारत/राज्य/ संघशासित प्रदेश	पक्का		अधपक्का		कच्चा	
	1981 1	1991 2	1981 4	1991 5	1981 6	1991 7
भारत*	64•70	72•75	21•80	17•69	13•50	9•56
भारत**	64•72	73•10	21•80	17•57	13•49	9•33
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	52•59	64•94	18•32	14•42	29•09	20•64
अरुणाचल प्रदेश	28•03	44•71	33•62	18•53	38•35	36•75
असम	उ० न०	43•43	उ० न०	27•77	उ० न०	28•80
बिहार	65•66	70•49	24•69	20•35	9•65	9•17
गोवा	47•13	63•68	46•46	33•26	6•40	3•06
गुजरात	75•49	81•14	19•80	16•42	4•71	2•44
हारयाणा	65•39	72•95	25•38	21•03	9•23	6•02
हिमाचल प्रदेश	70•59	79•25	25•30	18•00	4•11	2•75
जम्मू और कश्मीर	62•41	उ० न०	22•92	उ० न०	14•67	उ० न०
कर्नाटक	54•64	69•43	31•20	22•16	14•16	8•41
केरल	56•08	69•06	17•56	14•93	26•35	16•01
मध्य प्रदेश	56•02	62•14	40•09	35•25	3•88	2•61
महाराष्ट्र	64•63	77•81	27•54	19•06	7•83	3•13
मणिपुर	9•83	12•78	33•21	53•36	56•96	33•87
मेघालय	30•67	29•99	54•19	57•06	15•14	12•95
मिजोरम	24•28	37•09	49•48	50•10	26•24	12•81
नागालैण्ड	38•32	33•82	35•70	40•39	25•98	25•78
उड़ीसा	46•70	54•95	18•77	18•40	34•53	26•65
पंजाब	78•43	88•10	13•91	8•31	7•66	3•59
राजस्थान	80•82	86•20	10•00	7•97	9•17	5•83
सिक्किम	51•70	70•09	36•45	27•30	11•86	2•60
तामिलनाडु	60•74	69•08	16•04	14•57	23•22	16•35
त्रिपुरा	20•70	24•02	24•12	38•06	55•17	37•92
उत्तर प्रदेश	65•40	75•93	23•54	16•70	11•07	7•37
पश्चिम बंगाल	71•37	74•19	19•26	17•58	9•37	8•23
संघ राज्यक्षेत्र						
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	6•42	17•21	74•95	73•90	18•63	8•89
चण्डीगढ़	85•92	85•61	7•48	6•54	6•61	7•84
दादरा व नागर हवेली	46•97	69•11	25•44	27•64	27•59	3•25
दमन व दीव	81•36	89•89	13•91	8•23	4•73	1•89
दिल्ली	90•05	85•50	4•78	4•49	5•17	10•02
लक्षद्वीप	74•90	92•84	21•63	5•43	3•46	1•73
पांडिचरी	49•07	56•53	9•09	10•39	41•84	33•08

* 1981 में असम के छोड़कर व 1991 में जम्मू व कश्मीर को छोड़कर शेष भारत।

** असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

1991 - जनगणना मकान सूची पर आधारित भारत/राज्यों/संघराज्यों

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या	परिवार		कालम 3- कालम 2	बेघरवार परिवार	परिवार दरा कट्चा
		1	2	3	4	5
भारत	38,743,664	39,523,184	779,520	217,000	3,777,023	
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	3,319,280	3,368,275	48,995	27,000	695,189	
असम	25,573	25,841	268	न0	9,459	
बिहार	470,985	472,175	1,190	700	135,823	
गोवा	1,769,050	1,858,345	89,295	7,300	170,237	
गुजरात	90,839	92,817	1,978	2,000	2,842	
हरियाणा	2,531,280	2,675,085	143,805	17,000	65,242	
हिमाचल प्रदेश	724,790	729,670	4,880	2,000	43,906	
कर्नाटक	109,370	110,007	637	1,000	3,022	
केरल	2,467,715	2,489,180	21,465	15,000	209,336	
मध्य प्रदेश	1,337,615	1,358,505	20,890	4,000	217,309	
महाराष्ट्र	2,697,870	2,726,990	29,120	16,000	71,031	
मणिपुर	5,885,815	5,909,055	23,240	39,000	185,158	
मेघालय	76,422	83,124	6,702	न0	28,115	
मिजोरम	62,741	62,908	167	न0	8,133	
नागालैण्ड	56,351	56,433	82	न0	7,223	
उड़ीसा	48,716	48,731	15	न0	12,560	
फ़जाब	786,180	816,375	30,195	7,000	217,191	
राजस्थान	965,615	1,024,075	58,460	4,000	36,723	
सिक्किम	1,713,120	1,714,570	1,450	8,000	99,812	
तमिलनाडु	7,825	7,827	2	न0	203	
त्रिपुरा	3,851,145	3,916,150	65,005	8,000	640,335	
उत्तर प्रदेश	84,074	85,065	991	100	32,256	
पश्चिम बंगाल	4,187,805	4,324,115	136,310	22,000	317,975	
	3,589,650	3,617,220	27,570	21,000	297,154	
संघ राज्यक्षेत्र						
आण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	14,766	15,304	538	400	1,359	
चण्डीगढ़	127,613	128,752	1,139	2,000	10,082	
दादरा व नागर हवेली	1,309	2,292	983	न0	75	
दमन व दीव	6,694	9,050	2,356	न0	171	
दिल्ली	1,640,763	1,697,609	56,846	12,200	169,947	
लक्षद्वीप	4,458	4,518	60	न0	78	
पौड़चेरी	88,235	93,121	4,886	1,000	30,783	

टिप्पणी 1- श्रेणी "अन्य सभी सामग्रियाँ व सामग्री नहीं बतायी" से संबंधित आंकड़े पक्की, अधफक्ति व कट्ची श्रेणियों में समान रूप से भारत प्रत्येक व संघराज्यों के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विभाजित किये गए हैं। अतः राज्य/संघराज्य के आंकड़ों का योग भारत के समक्ष दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाता।

टिप्पणी 2- कालम संख्या 6,7,8 व 9 में संस्थागत परिवारों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।
न0 - का अर्थ है नगण्य।

प्रदेशों के नगरीय क्षेत्रों में मकानों की कमी के अनुमान

प्रयुक्त मकान का प्रकार	पक्का	मरम्मत के अयोग्य कच्चा	मकानों की कमी	प्रति वर्षत कमी	भारत/राज्य/ संघशासित प्रदेश	
7	8	9	10	11	1	
6,985,295	28,731,132	1,138,927	4,773,543	12.08	भारत	
					राज्य	
485,518	2,187,197	186,075	771,184	22.90	आन्ध्र प्रदेश	
4,770	11,508	8,340	9,727	37.64	अरुणाचल प्रदेश	
130,984	204,853	119,885	137,713	29.17	असम	
377,888	1,309,020	110,055	266,832	14.36	बिहार	
30,856	59,083	1,445	6,820	7.35	गोवा	
438,996	2,169,722	26,330	226,047	8.45	गुजरात	
153,293	531,816	5,470	50,786	6.96	हारियाणा	
19,759	86,993	480	4,659	4.24	हिमाचल प्रदेश	
551,478	1,727,897	70,020	245,801	9.87	कर्नाटक	
202,623	937,433	89,315	242,199	17.83	केरल	
960,893	1,694,106	21,500	116,151	4.31	मध्य प्रदेश	
1,125,785	4,596,552	91,820	247,398	4.19	महाराष्ट्र	
44,296	10,607	17,838	34,817	41.89	मणिपुर	
35,849	18,842	5,804	8,300	13.19	मेघालय	
28,250	20,915	6,259	7,305	12.94	मिजोरम	
19,678	16,476	10,920	12,575	25.81	नागालैण्ड	
149,973	447,816	33,440	254,386	31.16	उड़ीसा	
85,023	901,724	6,740	99,183	10.27	फ़जाब	
136,453	1,476,185	8,965	109,262	6.37	राजस्थान	
2,133	5,476	23	205	2.62	सिक्किम	
570,577	2,704,783	116,830	713,340	18.22	तमिलनाडु	
32,369	20,429	22,019	33,347	39.20	त्रिपुरा	
720,856	3,277,830	51,740	476,285	11.01	उत्तर प्रदेश	
634,424	2,677,652	75,325	345,724	9.56	पश्चिम बंगल	
					संघ राज्यक्षेत्र	
11,300	2,632	232	2,297	15.01	अण्डमान व निकोबार द्विपसमूह	
8,414	110,059	1,647	13,221	10.27	चण्डीगढ़	
633	1,584	21	1,058	46.14	दादरा व नागर हवेली	
744	8,133	83	2,527	27.92	दमन और दीव	
76,135	1,450,746	43,137	238,993	14.08	दिल्ली	
245	4,187	68	138	3.06	लक्ष्मीप	
9,665	52,602	7,101	36,669	39.38	पांडिचेरी	

सारणी-2 • 5

1991 - जनगणना मकान सूची पर आधारित भारत/राज्यों/संघशासित

भारत/राज्य/ संघराज्य क्षेत्र	आवासीय/अंशतः आवासीय मकानों की संख्या	परिवार	कालम 3-		परिवार कट्टा
			कालम 2	बेघरवार	
1	2	3	4	5	6
भारत	108,474,825	111,588,199	3,113,374	305,000	37,660,811
राज्य					
आन्ध्र प्रदेश	10,197,750	10,341,265	143,515	27,000	4,652,255
अरुणाचल प्रदेश	134,706	148,788	14,082	न0	117,891
असम	3,325,050	3,329,445	4,395	600	2,531,412
बिहार	11,132,870	12,255,960	1,123,090	7,000	4,601,126
गोवा	126,805	131,978	5,173	1,000	7,999
गुजरात	4,683,160	4,794,570	111,410	50,000	238,117
हारियाणा	1,907,855	1,916,795	8,940	4,000	330,010
हिमाचल प्रदेश	866,146	877,348	11,202	2,000	56,035
कर्नाटक	5,427,385	5,530,020	102,635	16,000	1,117,551
केरल	4,004,690	4,032,170	27,480	5,000	1,124,214
मध्य प्रदेश	8,903,260	9,049,095	145,835	35,000	477,453
महाराष्ट्र	8,908,185	8,992,920	84,735	98,000	1,553,120
मणिपुर	213,995	222,097	8,102	न0	136,460
मेघालय	264,182	264,537	355	300	165,282
मिजोरम	62,507	62,571	64	न0	38,414
नागालैण्ड	172,273	172,376	103	न0	99,983
उडीसा	4,790,075	5,171,715	381,640	8,000	3,326,598
पंजाब	2,345,210	2,358,350	13,140	6,000	367,749
राजस्थान	5,664,055	5,667,950	3,895	17,000	1,444,112
सिक्किम	70,060	70,079	19	न0	26,198
तमिल नाडु	8,338,310	8,427,415	89,105	6,000	3,856,830
त्रिपुरा	435,278	439,137	3,859	100	354,528
उत्तर प्रदेश	17,372,210	18,107,635	735,425	13,000	6,096,678
पश्चिम बंगाल	8,821,535	8,903,125	81,590	6,000	4,456,455
संघ राज्यक्षेत्र					
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	41,575	41,776	201	न0	22,802
चण्डीगढ़	17,036	17,058	22	न0	3,146
दादरा व नागर हवेली	19,710	23,616	3,906	न0	14,602
दमन व दीव	5,151	9,539	4,388	न0	363
दिल्ली	161,575	163,967	2,392	न0	12,294
लक्षद्वीप	3,588	3,664	76	न0	95
पौड़चेरी	58,638	61,238	2,600	न0	35,499

टिप्पणी 1- श्रेणी "अन्य सभी सामग्रियाँ व सामग्री नहीं बतायी" से संबंधित आंकड़े पक्की, अधिकी व कल्ची श्रेणियों में समान रूप से भारत प्रत्येक व संघराज्यों के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में क्रियाजित किये गए हैं। अतः राज्य/संघराज्य के आकड़ों का योग भारत के समक्ष दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाता।

टिप्पणी 2- कालम संख्या 6,7,8 व 9 में संस्थागत परिवारों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

न0- का अर्थ है नगण्य।

प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की कमी के अनुमान

प्रत्युक्त मकान का प्रकार		मरम्पत के अयोग्य कल्चा	मकानों की कमी	प्रतिशत कमी	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1
अवधारणा	पक्का					
7	8	9	10	11		
39,760,622 34,118,014 10,306,165 13,724,539 12·30 भारत						
					राज्य	
2,609,631	3,078,879	947,840	1,118,355	10·81	आन्ध्र प्रदेश	
15,579	14,433	98,088	112,170	75·39	अरुणाचल प्रदेश	
444,858	350,430	2,238,970	2,243,965	67·40	असम	
4,701,602	2,948,837	2,965,650	4,095,740	33·42	बिहार	
69,075	54,849	3,737	9,910	7·51	गोवा	
2,473,389	2,081,154	103,395	264,805	5·52	गुजरात	
791,948	794,663	16,570	29,510	1·54	हरियाणा	
384,614	436,185	2,909	16,111	1·84	हिमाचल प्रदेश	
2,728,436	1,683,753	308,280	426,915	7·72	कर्नाटक	
828,193	2,078,462	314,300	346,780	8·60	केरल	
6,676,316	1,893,941	108,935	289,770	3·20	मध्य प्रदेश	
4,257,993	3,180,167	477,165	659,900	7·34	महाराष्ट्र	
79,720	5,855	81,096	89,198	40·16	मणिपुर	
74,504	24,684	147,263	147,918	55·92	मेघालय	
22,306	1,789	36,833	36,897	58·97	मिजोरम	
60,956	11,415	88,778	88,881	51·56	नागालैण्ड	
1,169,777	671,895	295,015	684,655	13·24	उड़ीसा	
289,154	1,700,822	25,230	44,370	1·88	फजाब	
1,555,162	2,663,736	90,070	110,965	1·96	राजस्थान	
28,297	15,490	12,427	12,446	17·76	सिक्किम	
1,654,212	2,915,978	222,990	318,095	3·77	तमिलनाडु	
76,176	8,397	188,174	192,133	43·75	त्रिपुरा	
6,079,017	5,916,665	502,670	1,251,095	6·91	उत्तर प्रदेश	
3,039,289	1,399,727	997,085	1,084,675	12·18	पौर्ख्यम बंगाल	
संघ राज्यक्षेत्र						
15,652	3,302	17,748	17,949	42·96	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	
3,823	9,890	432	454	2·66	चण्डीगढ़	
5,206	3,805	3,951	7,857	33·27	दादरा और नागर हवेली	
2,477	6,698	95	4,483	47·00	दमन व दीव	
9,624	142,002	6,733	9,125	5·57	दिल्ली	
493	3,067	89	165	4·50	लक्ष्मीप	
9,095	16,634	3,647	6,247	10·20	पांडिचेरी	

सारणी-3·1

पिने का सुरक्षित पानी उपयोग करने वाले परिवारों की प्रतिशतता - 1981 व 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	यौगिक		ग्रामीण		नगरीय	
	1981 1	1991 2	1981 4	1991 5	1981 6	1991 7
भारत	38·19 *	62·30 **	26·50 *	55·54 **	75·06 *	81·38 **
भारत ^⑥	37·91	62·72	26·34	55·92	74·13	81·59
राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	25·89	55·08	15·12	48·98	63·27	73·82
अरुणाचल प्रदेश	43·89	70·02	40·16	66·87	87·93	88·20
असम	उ० न०	45·86	उ० न०	43·28	उ० न०	64·07
बिहार	37·64	58·76	33·77	56·55	65·36	73·39
गोवा	22·50	43·41	8·57	30·54	52·31	61·71
गुजरात	52·41	69·78	36·16	60·04	86·78	87·23
हारियाणा	55·11	74·32	42·94	67·14	90·72	93·18
हिमाचल प्रदेश	44·50	77·34	39·56	75·51	89·56	91·93
जम्मू व कश्मीर	40·28	उ० न०	27·95	उ० न०	86·67	उ० न०
कर्नाटक	33·87	71·68	17·63	67·31	74·40	81·38
केरल	12·20	18·89	6·26	12·22	39·72	38·68
मध्य प्रदेश	20·17	53·41	8·09	45·56	66·65	79·45
महाराष्ट्र	42·29	68·49	18·34	54·02	85·56	90·50
मणिपुर	19·54	38·72	12·91	33·72	38·71	52·10
मेघालय	25·11	36·16	14·26	26·82	74·40	75·42
मिजोरम	4·88	16·21	3·57	12·89	8·79	19·88
नागालैण्ड	45·63	53·37	43·43	55·60	57·18	45·47
उड़ीसा	14·58	39·07	9·47	35·32	51·33	62·83
पंजाब	84·56	92·74	81·80	92·09	91·13	94·24
राजस्थान	27·14	58·96	13·00	50·62	78·65	86·51
सिक्किम	30·33	73·19	21·70	70·98	71·93	92·95
तमिलनाडु	43·07	67·42	30·97	64·28	69·44	74·17
त्रिपुरा	27·33	37·18	22·17	30·60	67·92	71·12
उत्तर प्रदेश	33·77	62·24	25·31	56·62	73·23	85·78
पश्चिम बंगाल	69·65	81·98	65·78	80·26	79·78	86·23
संघराज्य क्षेत्र						
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	51·64	67·87	36·35	59·43	91·95	90·91
चण्डीगढ़	99·09	97·73	94·39	98·11	99·39	97·68
दादरा और नागर हवेली	19·35	45·57	16·85	41·17	54·35	90·97
दमन व दीव	54·48	71·42	46·42	56·87	67·04	86·76
दिल्ली	92·97	95·78	62·26	91·01	94·91	96·24
लक्ष्मीप	2·19	11·90	0·97	3·41	3·65	18·79
पांडुचेरी	80·59	88·75	76·88	92·86	84·18	86·05

⑥ असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

* असम को छोड़कर।

** जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

उ० न० से अर्थ है उपलब्ध नहीं।

सारणी-३०२

पेने का सुरक्षित पानी उपयोग करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य के
परिवारों की प्रतिशतता - 1991

भारत/राज्य संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य		
	यौगिक	ग्रामीण	नगरीय	यौगिक	ग्रामीण	नगरीय	यौगिक	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत *	63·60	59·84	80·59	43·21	41·11	65·71	64·10	56·40	81·93
राज्य									
आन्ध्र प्रदेश	57·56	54·40	75·86	50·14	48·28	69·45	54·96	47·72	73·71
अरुणाचल प्रदेश	69·69	67·16	77·75	71·73	70·54	88·72	67·45	59·70	88·46
असम	45·35	43·01	60·56	34·84	34·32	46·50	47·67	44·88	65·49
बिहार	55·40	54·18	67·81	31·17	29·68	49·54	62·44	60·20	75·44
गोवा	43·99	27·69	65·65	33·33	23·08	37·14	43·40	30·61	61·64
गुजरात	73·74	66·44	86·37	41·30	37·44	77·87	74·55	65·54	87·74
हारयाणा	72·33	68·69	89·82	-	-	-	74·82	66·67	93·67
हिमाचल प्रदेश	72·93	71·87	87·83	72·22	71·47	88·61	79·20	77·15	92·73
कर्नाटक	78·63	76·78	85·75	74·03	72·34	82·69	70·21	64·83	80·82
केरल	23·50	19·71	41·89	15·65	13·63	50·57	18·49	11·38	38·45
मध्य प्रदेश	55·65	50·55	75·68	42·12	40·75	66·70	57·18	46·63	80·93
महाराष्ट्र	69·53	60·78	88·44	49·08	44·49	79·98	70·51	54·49	91·06
मणिपुर	27·46	25·92	30·76	47·45	46·28	58·42	34·39	22·91	53·08
मेघालय	48·69	38·53	68·62	32·20	25·83	73·45	59·27	36·04	79·13
मिजोरम	21·59	14·03	24·36	16·02	12·86	19·71	20·95	22·22	20·83
नागालैण्ड	-	-	-	53·71	55·97	43·68	50·18	49·25	50·91
उडीसा	42·69	40·50	61·59	34·71	33·63	53·23	39·75	34·31	64·29
फ़ॉन्स	90·14	89·39	92·89	-	-	-	93·78	93·37	94·58
राजस्थान	59·05	53·43	82·90	48·83	47·12	75·76	60·87	50·55	87·70
सिकिम	66·81	64·21	88·11	71·92	69·77	94·21	73·89	71·69	92·84
तमिलनाडु	70·85	70·06	74·06	48·69	45·51	63·68	66·81	62·79	74·27
त्रिपुरा	40·04	35·81	62·80	18·10	16·83	77·27	47·63	39·37	72·58
उत्तर प्रदेश	55·15	51·94	78·99	67·35	65·20	71·83	64·61	58·36	87·19
पश्चिम बंगाल	80·19	79·74	82·41	56·13	55·09	68·58	84·98	83·72	87·27
संघ राज्यक्षेत्र									
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	20·33	16·68	79·67	71·69	63·96	91·09
चण्डीगढ़	97·43	98·58	97·25	-	-	-	97·79	98·01	97·76
दादरा व नागर हवेली	71·41	67·34	97·65	34·89	33·32	81·55	72·96	66·25	94·19
दमन व दीव	82·86	78·66	89·89	66·04	64·25	73·87	71·57	53·89	87·24
दिल्ली	93·83	86·34	94·66	-	-	-	96·30	92·45	96·66
लक्ष्मीप	-	-	-	12·91	3·56	21·97	4·76	0·94	5·78
पांडुचेरी	88·29	92·32	82·12	-	-	-	88·86	93·07	86·60

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-३०३

बिजली उपभोग करने वाले परिवारों की प्रतिशत्ता - 1981 व 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	यौविंशिक		ग्रामीण		नगरीय	
	1981 1	1991 2	1981 4	1991 5	1981 6	1991 7
भारत	26·19*	42·37**	14·69*	30·54*	62·51*	75·78**
भारत @	25·74	42·98	14·29	31·10	61·60	75·93
राज्य						
आनंद प्रदेश	21·41	46·30	12·53	37·50	52·22	73·31
अरुणाचल प्रदेश	15·15	40·85	10·99	33·88	64·26	80·96
असम	उ० न०	18·74	उ० न०	12·44	उ० न०	63·21
बिहार	9·20	12·57	3·48	5·57	50·09	58·77
गोवा	58·08	84·69	52·52	81·82	69·97	88·77
गुजरात	44·81	65·93	30·83	56·43	74·40	82·96
हरियाणा	51·53	70·35	41·04	63·20	82·22	89·13
हिमाचल प्रदेश	54·86	87·01	51·08	85·86	89·36	96·24
जम्मू व कश्मीर	60·87	उ० न०	52·54	उ० न०	92·18	उ० न०
कर्नाटक	32·98	52·47	21·35	41·75	61·98	76·27
केरल	28·78	48·43	23·21	41·95	54·57	67·65
मध्य प्रदेश	17·11	43·30	6·89	34·49	56·42	72·52
महाराष्ट्र	40·65	69·40	24·12	58·45	70·53	86·07
मणिपुर	20·06	50·92	10·28	41·73	48·32	75·45
मेघालय	16·84	29·16	7·44	16·34	59·59	83·04
मिजोरम	16·27	59·20	4·96	35·47	50·06	85·50
नागालैण्ड	26·12	53·42	19·97	47·16	58·43	75·58
उड़ीसा	17·75	23·54	13·03	17·45	51·74	62·11
फ़िजाब	60·90	82·31	50·61	76·98	85·44	94·60
राजस्थान	20·54	35·03	8·70	22·44	63·67	76·67
सिक्किम	23·11	60·66	13·01	57·12	71·80	92·37
तीमलनाडु	37·21	54·74	26·03	44·49	61·59	76·80
त्रिपुरा	25·05	36·93	16·52	28·50	92·10	80·43
उत्तर प्रदेश	12·91	21·91	3·97	10·96	54·61	67·76
पश्चिम बंगाल	21·09	32·90	7·02	17·75	57·86	70·19
संघ राज्यक्षेत्र						
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	35·92	63·52	19·87	53·62	78·22	90·55
चण्डीगढ़	84·43	83·12	67·85	65·25	85·48	85·48
दादरा व नागर हवेली	28·66	54·42	25·87	51·20	67·66	87·57
दमन व दीव	78·33	94·13	73·48	92·87	85·89	95·46
दिल्ली	73·57	79·48	51·68	59·85	74·94	81·38
लक्षद्वीप	91·79	98·46	88·01	97·65	96·35	99·11
पांडिचेरी	43·79	63·58	28·97	51·20	58·11	71·71

@ असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

* असम को छोड़कर।

** जम्मू कश्मीर को छोड़कर।

उ० न० से अर्थ है उपलब्ध नहीं।

सारणी-3·4

बिजली उपयोग करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और "अन्य" के परिवारों की प्रतिशतता - 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य		
	यौविक	ग्रामीण	नगरीय	यौविक	ग्रामीण	नगरीय	यौविक	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत*	28·10	21·84	56·32	22·80	19·70	55·93	48·06	34·62	79·30
राज्य									
आन्ध्र प्रदेश	24·17	19·85	49·23	13·00	10·59	37·98	53·49	44·49	76·81
अरुणाचल प्रदेश	49·58	43·10	70·16	33·18	29·41	87·31	52·10	42·14	79·09
असम	16·38	10·91	51·97	7·55	5·63	50·68	20·87	13·86	65·58
बिहार	7·44	4·08	41·53	5·94	2·91	43·22	14·43	6·23	61·97
गोवा	72·96	72·48	73·60	55·21	50·00	57·14	84·98	82·04	89·16
गुजरात	65·32	59·37	75·61	32·02	29·68	54·20	72·32	63·59	85·10
हरियाणा	50·76	46·63	70·59	-	-	-	75·33	68·20	91·81
हिमाचल प्रदेश	81·32	80·48	93·19	72·19	71·15	94·58	89·90	88·85	96·82
कर्नाटक	33·56	28·23	54·05	31·42	26·75	55·29	57·01	45·68	79·36
केरल	23·74	21·53	34·45	13·64	11·84	44·99	51·28	44·68	69·81
मध्य प्रदेश	48·74	47·16	54·95	28·49	27·51	45·94	47·61	34·44	77·24
महाराष्ट्र	58·68	51·53	74·13	46·63	43·21	69·62	73·51	62·32	87·86
मणिपुर	50·81	44·03	65·34	34·05	29·26	79·17	61·76	53·14	75·80
मेघालय	46·99	29·41	81·47	23·60	14·97	79·45	61·63	29·82	88·81
मिजोरम	73·09	39·44	85·45	58·52	35·41	85·46	82·93	42·11	86·89
नागालैण्ड	-	-	-	53·05	47·46	77·88	56·87	41·99	68·59
उड़ीसा	14·14	11·81	34·26	6·91	5·74	27·08	33·61	25·17	71·74
पंजाब	68·11	63·03	86·74	-	-	-	87·97	83·57	96·59
राजस्थान	23·23	15·64	55·48	10·36	7·60	53·97	43·28	28·41	81·95
सिक्किम	48·86	45·18	79·07	66·21	63·37	95·72	59·74	55·94	92·50
तीमलनाडु	30·91	27·48	44·76	30·31	24·54	57·43	61·31	50·33	81·67
त्रिपुरा	33·70	28·63	60·95	18·27	16·77	88·84	49·18	37·61	84·16
उत्तर प्रदेश	11·39	6·29	49·18	35·14	20·40	65·82	25·39	12·69	71·24
पश्चिम बंगाल	18·75	12·87	47·63	11·99	8·73	51·09	40·23	21·32	74·72
संघ राज्यक्षेत्र									
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	47·04	44·83	82·93	64·85	54·55	90·68
चण्डीगढ़	59·47	42·59	62·08	-	-	-	87·59	70·29	89·81
दादरा व नागर हवेली	81·83	79·38	97·65	43·19	42·38	67·22	83·20	79·55	94·75
दमन व दीव	97·03	96·12	98·56	79·59	81·03	73·33	95·84	95·28	96·34
दिल्ली	64·45	54·23	65·58	-	-	-	83·44	61·58	85·47
लक्षद्वीप	-	-	-	98·49	97·94	99·01	98·22	92·96	99·62
फ़ॉडिचेरी	45·11	40·76	51·77	-	-	-	67·83	55·37	74·50

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-३०५

शैक्षिक सुविधामुग्गी परिवारों की प्रतिशत्ता - 1981 व 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	नगरीय		ग्रामीण	यौविक
	1981 1	1991 2	1991 3	1991 4
भारत	58·15*	63·85**	9·48*	23·70**
भारत @	57·44	63·58	8·84	23·55
राज्य				
आन्ध्र प्रदेश	44·07	54·60	6·62	18·40
आसाम	64·56	75·05	42·62	47·42
आसम	उ० न०	86·06	30·53	37·43
बिहार	52·95	56·54	4·96	11·75
गोवा	49·51	55·82	29·99	40·65
गुजरात	60·11	65·71	11·16	30·69
हरियाणा	58·09	64·25	6·53	22·45
हिमाचल प्रदेश	55·12	59·98	6·42	12·39
जम्मू व कश्मीर	64·54	उ० न०	उ० न०	उ० न०
कर्नाटक	53·28	62·52	6·85	24·13
केरल	59·14	72·66	44·07	51·28
मध्य प्रदेश	52·73	53·00	3·64	15·07
महाराष्ट्र	59·37	64·45	6·64	29·56
मणिपुर	62·69	70·16	33·02	43·13
मेघालय	70·15	85·69	18·13	31·11
मिजोरम	24·52	84·44	58·37	70·73
नागालैण्ड	65·25	75·10	26·86	37·49
उड़ीसा	41·88	49·27	3·58	9·81
फ़ॉनाब	64·75	73·23	15·79	33·18
राजस्थान	56·48	62·27	6·65	19·57
सिक्किम	53·15	77·69	30·30	34·97
तमिलनाडु	51·27	57·47	7·17	23·13
त्रिपुरा	95·67	96·32	62·43	67·93
उत्तर प्रदेश	62·06	66·54	6·44	18·02
पश्चिम बंगाल	77·74	78·75	12·31	31·51
संघ राज्यक्षेत्र				
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	70·90	65·72	26·32	36·88
चण्डीगढ़	78·53	79·77	3·05	70·80
दादरा व नागर हवेली	42·83	65·14	10·59	15·42
दमन व दीव	42·93	45·75	8·39	26·57
दिल्ली	68·02	66·64	29·60	63·38
लक्षद्वीप	31·62	64·65	78·88	71·02
पर्सियन चेरी	41·54	50·02	11·85	34·88

@ असम, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

* असम को छोड़कर।

** जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

उ० न० से अर्थ है उपलब्ध नहीं।

सारणी-३६

शैक्षालय सुविधामोगी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के
परिवारों की प्रतिशतता - 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य		
	यौविक	ग्रामीण	नगरीय	यौविक	ग्रामीण	नगरीय	यौविक	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत *	11·16	5·15	38·28	7·22	4·10	40·68	28·63	11·52	68·38
राज्य									
आन्ध्र प्रदेश	6·66	2·95	28·17	3·50	1·49	24·32	22·00	8·02	58·24
अरुणाचल प्रदेश	51·12	47·59	62·33	43·44	41·31	73·94	53·29	44·91	76·01
অসম	33·95	27·16	78·09	12·54	9·83	73·26	41·88	34·66	87·93
बिहार	4·99	2·19	33·45	3·33	0·97	32·39	14·16	6·08	61·00
गोवा	20·87	13·06	31·26	25·00	19·23	27·14	41·12	30·37	56·44
गुजरात	23·14	7·54	50·08	5·42	2·60	32·08	36·39	14·09	69·03
हैरयाणा	7·29	3·87	23·70	-	-	-	26·30	7·34	70·13
हिमाचल प्रदेश	5·96	3·83	35·95	19·71	18·12	54·10	14·25	6·66	64·41
कर्नाटक	9·24	2·59	34·78	8·90	2·71	40·53	27·66	8·06	66·30
केरल	29·33	26·25	44·28	13·85	11·65	52·01	53·90	46·57	74·51
मध्य प्रदेश	6·27	1·91	23·40	2·21	1·14	21·25	22·26	5·45	60·09
महाराष्ट्र	16·81	4·40	43·62	7·01	2·25	39·12	33·93	7·80	67·46
मणिपुर	40·43	32·49	57·47	22·95	17·36	75·61	56·39	47·76	70·46
मेघालय	46·79	33·96	71·95	25·20	16·26	83·04	66·17	36·97	91·13
मिजोरम	81·25	56·11	90·48	70·33	58·42	84·21	82·36	49·12	85·58
नागालैण्ड	-	-	-	34·06	25·24	73·28	69·15	54·58	80·62
उडीसा	3·82	1·86	20·73	1·60	0·77	15·81	15·22	5·57	58·83
ਪੰਜਾਬ	16·04	8·31	44·37	-	-	-	40·01	19·33	80·53
राजस्थान	10·62	5·11	34·04	3·10	1·00	36·35	25·39	8·57	69·12
सिकिंग	26·82	23·28	55·95	35·17	30·71	81·64	35·51	30·54	78·32
तमिलनाडु	9·84	5·10	28·96	11·37	4·02	45·89	26·76	7·90	61·76
त्रिपुरा	75·26	72·09	92·31	37·24	36·02	94·42	83·82	79·37	97·27
उत्तर प्रदेश	6·87	2·60	38·50	24·23	7·41	59·22	21·77	7·90	71·83
पश्चिम बंगाल	16·61	8·44	56·75	7·83	4·18	51·63	39·36	15·27	83·33
संघ राज्यक्षेत्र									
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	12·78	9·99	58·13	38·82	28·05	65·85
चण्डीगढ़	47·88	1·61	55·03	-	-	-	75·13	3·37	84·35
दादरा व नागर हवेली	29·23	22·45	72·94	3·26	2·72	19·24	48·07	37·32	82·06
दमन व दीव	13·90	7·33	24·91	3·62	1·83	11·47	30·09	9·90	47·96
दिल्ली	31·15	14·36	33·01	-	-	-	71·85	34·32	75·34
लक्ष्मीप	-	-	-	67·71	78·27	57·93	94·55	88·73	96·11
पांडिचेरी	13·10	6·39	23·39	-	-	-	39·89	14·03	53·74

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-३०७

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के बिजली व शैक्षालय सुविधाएं भोगी परिवारों

की प्रतिशतता - 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य		
	यौगिक	ग्रामीण	नगरीय	यौगिक	ग्रामीण	नगरीय	यौगिक	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत *	8·23	5·02	25·04	2·76	2·10	8·26	32·94	36·36	64·03
राज्य									
आन्ध्र प्रदेश	5·24	2·63	21·04	1·73	0·78	7·39	25·64	21·85	56·41
अरुणाचल प्रदेश	38·29	19·96	42·07	32·29	16·45	31·91	57·40	70·19	69·60
असम	12·69	4·57	17·04	7·02	2·65	9·72	49·61	47·56	63·70
बिहार	4·07	2·84	11·15	1·52	0·66	3·50	29·90	29·66	55·55
गोवा	20·21	23·96	40·18	12·41	19·23	29·43	30·58	25·71	55·50
गुजरात	21·94	4·72	35·55	6·73	2·08	13·60	48·20	29·65	67·69
हरियाणा	5·86	-	25·54	2·41	-	6·51	22·45	-	69·54
हिमाचल प्रदेश	5·47	17·05	13·96	3·36	15·39	6·40	35·14	52·99	64·03
कर्नाटक	7·59	7·49	26·05	1·63	1·88	7·19	30·49	36·15	63·21
केरल	15·68	7·16	43·25	13·46	5·40	35·92	26·44	37·68	63·85
मध्य प्रदेश	5·53	1·84	21·28	1·38	0·84	4·91	21·88	19·82	58·13
महाराष्ट्र	15·62	6·32	32·94	3·81	1·82	7·31	41·14	36·63	65·82
मणिपुर	29·32	14·81	40·92	21·84	9·81	29·91	45·37	61·84	58·85
मेघालय	35·09	14·51	56·32	21·15	5·39	23·25	62·43	73·56	84·58
मिजोरम	66·71	49·79	74·65	31·68	28·70	30·99	79·58	74·36	78·89
नागालैण्ड	-	25·10	47·12	-	16·46	27·84	-	63·51	62·29
उडीसा	3·20	1·31	14·28	1·35	0·52	4·84	19·12	14·88	56·92
पंजाब	14·71	-	39·14	6·88	-	18·27	43·41	-	80·00
राजस्थान	7·89	2·62	23·27	2·44	0·61	6·49	31·06	34·36	66·90
सिक्किम	24·26	32·71	32·92	20·43	28·06	27·72	55·73	81·13	77·73
तमिलनाडु	7·07	9·57	25·86	2·83	2·50	7·36	24·16	42·81	60·19
त्रिपुरा	30·60	12·05	46·78	25·32	10·49	34·72	58·98	85·18	83·20
उत्तर प्रदेश	5·34	20·93	17·04	1·44	5·46	4·22	34·15	53·10	63·30
पश्चिम बंगाल	9·22	4·38	30·67	3·23	1·31	8·83	38·70	41·24	70·50
संघ राज्यक्षेत्र									
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	10·12	36·04	-	7·17	24·40	-	58·13	65·24
चण्डीगढ़	45·28	-	74·52	1·42	-	3·27	52·05	-	83·67
दादरा व नागर हवेली	28·44	3·06	47·34	21·72	2·52	36·65	71·76	19·28	81·13
दमन व दीव	13·77	3·48	29·82	7·11	1·71	9·80	24·91	11·20	47·55
दिल्ली	28·21	-	68·19	9·89	-	22·10	30·24	-	72·47
लक्ष्मीप	-	67·39	94·55	-	77·77	88·73	-	57·76	96·11
पांडिचेरी	10·53	-	38·63	3·51	-	12·30	21·29	-	52·73

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-३४

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के पिने योग्य सुरक्षित पानी व शौचालय सुविधाएं

उपयोग करने वाले परिवारों की प्रतिशतता - 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	यौगिक				ग्रामीण				नगरीय			
	अ0जा०	अ0ज०जा०	अन्य	अ0जा०	अ0ज०जा०	अन्य	अ0जा०	अ0ज०जा०	अन्य	अ0जा०	अ0ज०जा०	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
भारत *	8.61	4.25	22.13	3.35	2.02	6.73	32.34	28.16	57.92			
राज्य												
आन्ध्र प्रदेश	4.76	2.40	15.47	1.82	0.95	4.44	21.84	17.43	44.06			
आसाम	42.68	33.57	44.70	37.61	31.13	35.24	58.79	68.47	70.35			
बिहार	16.40	5.40	22.65	11.46	4.03	16.94	48.51	36.00	59.06			
गोवा	3.37	2.06	10.70	1.17	0.55	4.13	25.76	20.77	48.79			
गुजरात	11.59	18.75	22.04	4.44	15.38	10.60	21.08	20.00	38.34			
हरियाणा	20.05	3.99	32.57	5.52	1.48	11.79	45.15	27.69	62.99			
हिमाचल प्रदेश	6.29	-	24.69	3.13	-	6.54	21.49	-	66.65			
कर्नाटक	5.22	14.85	13.33	3.18	13.23	5.97	33.81	50.03	62.00			
केरल	7.78	7.00	21.39	2.01	1.84	4.84	29.93	33.33	54.01			
मध्य प्रदेश	8.64	3.84	11.17	6.67	2.71	4.56	18.18	23.50	29.73			
महाराष्ट्र	5.00	1.49	18.68	1.14	0.57	3.67	20.17	17.82	52.48			
मणिपुर	14.75	5.57	30.65	3.01	1.34	5.24	40.12	34.11	63.25			
मेघालय	14.24	12.54	23.32	11.38	9.24	12.26	20.37	43.53	41.34			
मिजोरम	28.72	13.66	46.84	18.66	5.80	15.84	48.45	64.55	73.33			
नागालैण्ड	20.04	12.68	17.43	10.73	8.26	4.68	23.45	17.82	18.67			
उड़ीसा	-	18.18	40.08	-	14.26	35.22	-	35.60	43.90			
फ़िजाब	2.18	0.97	8.88	0.76	0.36	1.85	14.45	11.45	40.62			
राजस्थान	8.35	2.44	22.41	3.33	0.67	6.38	29.68	30.46	64.11			
सिक्किम	23.21	30.30	31.46	19.70	25.70	26.43	51.98	78.24	74.77			
तमिलनाडु	7.26	6.58	19.03	3.82	2.23	4.92	21.09	27.02	45.20			
त्रिपुरा	32.46	12.68	42.72	27.70	11.38	33.49	58.04	73.90	70.62			
उत्तर प्रदेश	5.55	17.13	19.48	1.82	4.76	6.63	33.21	42.87	65.89			
पश्चिम बंगाल	14.27	5.61	34.62	7.28	2.89	13.31	48.62	38.26	73.51			
संघ राज्यक्षेत्र												
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	7.98	33.48	-	5.64	22.66	-	45.93	60.64			
चण्डीगढ़	46.77	-	73.57	1.39	-	3.25	53.78	-	82.61			
दादरा व नागर हवेली	25.12	2.71	43.60	17.70	2.19	32.66	72.94	18.12	78.19			
दमन व दीव	11.34	3.13	25.57	5.17	1.65	7.18	21.66	9.60	41.86			
दिल्ली	29.81	-	69.91	13.45	-	33.15	31.63	-	73.32			
लक्षद्वीप	-	5.53	3.47	-	2.00	0.94	-	8.81	4.15			
पांडिचेरी	11.35	-	34.37	5.98	-	12.97	19.59	-	45.83			

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-३०९

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के बिजली व पीने के सुरक्षित पानी का
उपयोग करने वाले परिवारों की प्रतिशतता - 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	यौविक			ग्रामीण			नगरीय		
	अ0जा0	अ0ज0जा0	अन्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	अन्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत*	20.68	12.49	34.82	14.71	10.00	21.07	47.60	39.15	66.75
राज्य									
आन्ध्र प्रदेश	15.54	7.76	31.97	11.77	5.92	22.33	37.39	26.81	56.96
अरुणाचल प्रदेश	43.25	27.80	45.81	37.22	24.22	35.96	62.45	79.05	72.51
असम	9.44	3.47	12.64	5.67	2.36	7.37	33.99	28.31	46.27
बिहार	4.70	3.21	10.50	2.05	1.27	3.84	31.65	27.11	49.17
गोवा	32.95	23.96	38.24	20.24	15.38	25.58	49.84	27.14	56.28
गुजरात	50.69	14.42	57.72	41.51	11.29	45.33	66.56	44.04	75.86
हैरयाणा	38.94	-	59.22	33.68	-	47.45	64.16	-	86.43
हिमाचल प्रदेश	62.09	54.97	73.26	60.63	53.63	70.66	82.71	84.09	90.46
कर्नाटक	27.39	25.12	42.64	22.45	21.08	31.40	46.35	45.74	64.78
केरल	7.31	4.57	10.89	5.78	3.57	4.69	14.73	21.92	28.31
मध्य प्रदेश	29.79	15.36	32.66	26.14	14.30	18.33	44.14	34.18	64.90
महाराष्ट्र	43.03	27.09	55.51	32.01	22.42	35.47	66.82	58.56	81.22
मणिपुर	18.98	19.38	26.61	16.54	16.26	14.70	24.23	48.72	45.99
मेघालय	30.27	13.91	46.06	17.39	6.58	14.95	55.56	61.36	72.65
मिजोरम	19.77	11.94	17.90	9.57	7.05	8.19	23.52	17.65	18.84
नागालैण्ड	-	28.05	32.75	-	25.87	25.69	-	37.73	38.31
उडीसा	6.25	2.93	15.22	4.47	2.11	8.08	21.61	17.00	47.47
पंजाब	62.87	-	83.25	57.85	-	79.01	81.28	-	91.55
राजस्थान	17.42	6.81	34.28	10.27	4.46	18.84	47.78	43.96	74.42
सिकिंग	38.24	52.58	49.63	34.23	48.89	45.31	71.15	91.07	86.82
तमिलनाडु	21.83	17.27	42.25	19.14	13.39	32.30	32.65	35.51	60.71
त्रिपुरा	18.02	5.83	30.75	13.41	4.41	19.97	42.76	72.51	63.30
उत्तर प्रदेश	8.80	26.01	21.80	4.24	15.21	9.78	42.60	48.48	65.18
पश्चिम बंगाल	15.12	7.39	34.61	10.17	4.99	17.60	39.48	36.17	65.65
संघ राज्यक्षेत्र									
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	11.55	53.73	-	8.04	41.88	-	68.70	83.46
चण्डीगढ़	58.31	-	85.85	41.36	-	68.67	60.93	-	88.06
दादरा व नागर हवेली	60.82	18.92	64.40	55.47	17.67	56.55	95.29	56.01	89.25
दमन व दीव	80.57	53.62	68.61	75.86	53.14	50.97	88.45	55.73	84.23
दिल्ली	61.79	-	80.91	50.09	-	58.16	63.09	-	83.02
लक्ष्मीप	-	12.74	4.66	-	3.42	0.94	-	21.39	5.65
पांडिचेरी	39.44	-	59.82	37.68	-	51.38	42.13	-	64.35

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-३-१०

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के विजली, सुरक्षित पिने का पानी व शौचालय सुविधाओं का
उपयोग करने वाले परिवारों की प्रतिशतता - 1991

भारत/संघ/ संघ राज्यक्षेत्र	यौगिक				ग्रामीण				नगरीय										
	अ0जा०	अ0ज0ज्ञ०	अन्य	अ0जा०	अ0ज0ज्ञ०	अन्य	अ0जा०	अ0ज0जा०	अन्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मारत*	6.62	3.23	19.83	1.86	1.14	4.88	28.08	25.64	54.57										
राज्य																			
आन्ध्र प्रदेश	3.81	1.82	14.84	1.04	0.48	4.09	19.88	15.70	42.69										
अरुणाचल प्रदेश	34.91	17.26	38.07	28.59	13.91	28.25	54.99	65.26	64.69										
असम	7.46	2.32	10.61	3.62	1.25	5.21	32.47	26.37	45.08										
बिहार	2.77	1.82	8.66	0.76	0.37	2.42	23.22	19.64	44.85										
गोवा	11.33	18.75	21.74	4.17	15.38	10.38	20.85	20.00	37.93										
गुजरात	19.16	3.54	31.91	5.02	1.20	11.46	43.57	25.70	61.84										
हारयाणा	5.28	-	24.10	2.10	-	5.90	20.52	-	66.15										
हिमाचल प्रदेश	4.88	13.02	13.13	2.87	11.36	5.79	33.18	49.02	61.69										
कर्नाटक	6.42	5.96	20.29	1.27	1.33	4.38	26.20	29.60	51.66										
केरल	5.23	2.47	9.43	3.96	1.62	3.40	11.42	17.19	26.37										
मध्य प्रदेश	4.52	1.28	17.99	0.84	0.41	3.36	19.01	16.73	50.91										
महाराष्ट्र	13.80	5.14	29.88	2.64	1.13	4.97	37.91	32.17	61.83										
मणिपुर	12.30	8.81	19.97	9.79	5.75	8.87	17.67	37.60	38.06										
मेघालय	22.94	10.20	42.73	13.46	2.79	11.49	41.53	58.21	69.44										
मिजोरम	18.88	10.52	16.45	8.42	5.76	3.51	22.73	16.07	17.71										
नागालैण्ड	-	13.55	28.47	-	9.25	19.46	-	32.70	35.56										
उडीसा	1.86	0.84	8.47	0.52	0.26	1.60	13.43	10.96	39.45										
फ़ैजाब	13.70	-	37.21	6.34	-	17.42	40.67	-	75.96										
राजस्थान	6.59	2.13	21.05	1.74	0.43	5.20	27.23	28.98	62.25										
सिक्किम	21.34	28.51	29.51	17.64	23.75	24.31	51.76	77.99	74.27										
तमिलनाडु	5.11	5.53	18.44	2.09	1.44	4.63	17.25	24.73	44.06										
निपुरा	16.77	4.65	29.57	12.24	3.26	18.65	41.13	69.91	62.56										
उत्तर प्रदेश	4.40	14.73	15.49	1.00	3.45	3.60	29.58	38.21	58.38										
पश्चिम बंगाल	7.76	3.12	26.94	2.67	0.89	7.56	32.77	29.83	62.29										
संघ राज्यक्षेत्र																			
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	6.07	31.63	-	3.62	20.27	-	45.93	60.13										
चण्डीगढ़	44.35	-	73.02	1.26	-	3.16	51.00	-	82.00										
दादरा व नागर हवेली	24.49	2.61	42.95	17.15	2.09	32.11	71.76	17.96	77.25										
दमन व दीव	11.20	3.03	25.37	4.96	1.53	7.13	21.66	9.60	41.52										
दिल्ली	26.99	-	66.37	9.29	-	21.24	28.95	-	70.55										
लक्षद्वीप	-	5.51	3.47	-	1.97	0.94	-	8.79	4.15										
पांडिचेरी	9.03	-	33.39	3.36	-	11.29	17.72	-	45.22										

*जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-3•11

तीनों सुविधाओं से वैचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व "अन्य" के
परिवारों की प्रतिशतता - 1991

भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	यौगिक			ग्रामीण			नगरीय		
	अ0ज्ञा०	अ0ज्ञ0ज्ञा०	अन्य	अ0ज्ञा०	अ0ज्ञ0ज्ञा०	अन्य	अ0ज्ञा०	अ0ज्ञ0ज्ञा०	अन्य
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10
भारत*	28•06	45•30	21•37	32•14	48•06	28•65	9•62	15•70	4•46
राज्य									
आन्ध्र प्रदेश	33•34	44•34	23•19	37•07	46•81	29•84	11•73	18•63	5•98
आसान्ध्र प्रदेश	18•94	15•71	21•67	20•68	16•63	28•11	13•40	2•48	4•21
आसम	35•40	56•18	31•30	39•46	58•02	35•42	9•02	15•05	4•95
बिहार	41•53	65•85	32•66	43•52	68•54	36•54	21•29	32•76	10•25
गोवा	15•59	34•38	9•22	19•69	42•31	12•21	10•13	31•43	4•95
गुजरात	11•32	40•83	10•67	15•39	43•93	16•04	4•29	11•53	2•83
हारियाणा	15•43	-	8•90	17•93	-	12•39	3•47	-	0•86
हिमाचल प्रदेश	7•70	9•73	4•07	8•14	10•14	4•58	1•50	0•78	0•84
कर्नाटक	14•90	19•29	14•91	17•22	21•68	20•48	5•99	7•11	3•86
केरल	49•82	69•95	32•21	54•46	72•93	39•14	27•33	18•34	12•75
मध्य प्रदेश	25•14	44•58	27•59	28•19	45•89	37•03	13•14	21•21	6•35
महाराष्ट्र	14•58	31•13	11•27	19•48	34•50	18•44	3•98	8•39	2•08
मणिपुर	31•55	33•46	18•34	37•52	36•67	24•19	18•73	3•29	8•78
मेघालय	28•67	50•88	19•42	41•83	57•92	39•72	2•87	5•32	2•05
मिजोरम	11•70	19•00	7•29	33•99	31•55	26•90	3•52	4•38	5•39
नागालैण्ड	-	16•95	15•28	-	18•67	23•47	-	9•29	8•82
उड़ीसा	49•12	61•14	41•33	51•90	62•59	48•12	25•19	36•26	10•70
फ़ंजाब	4•43	-	1•38	5•24	-	1•91	1•47	-	0•32
राजस्थान	34•17	47•45	29•37	40•13	49•59	38•98	8•86	13•72	4•41
सिक्किम	21•87	13•80	15•36	24•05	15•04	16•98	3•96	0•88	1•39
तमिलनाडु	19•45	37•54	13•82	21•08	42•63	18•93	12•87	13•61	4•34
त्रिपुरा	15•30	52•31	10•05	17•67	53•40	13•18	2•59	1•15	0•55
उत्तर प्रदेश	41•88	22•61	31•06	45•68	28•97	38•08	13•72	9•39	5•73
पश्चिम बंगाल	15•31	38•31	8•39	16•95	40•30	11•87	7•24	14•54	2•05
संघ राज्यक्षेत्र									
अण्डमान व निकोबार दीपसमूह	-	43•44	16•26	-	45•73	22•11	-	6•10	1•59
चण्डीगढ़	1•24	-	0•41	0•13	-	0•36	1•41	-	0•42
दादरा व नागर हवेली	7•42	40•74	8•16	8•58	41•87	10•63	0•00	7•25	0•32
दमन व दीव	0•67	7•94	1•13	1•08	7•87	1•75	0•00	8•27	0•58
दिल्ली	3•40	-	1•05	9•21	-	3•82	2•75	-	0•79
लश्वदीप	-	1•05	1•68	-	1•45	7•04	-	0•67	0•25
पीडीचेरी	5•79	-	2•85	4•34	-	2•89	8•02	-	2•85

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-3-12

भोजन फकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर परिवारों का प्रतिशत विभाजन

मारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग ग्रामीण नगरीय	उपला	बिजली	कोयला कोक/लिंगनाइट	लकड़ी का कोयला	साना फकाने की गैस	लकड़ी	बायोगैस	पिट्टी का तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारत*											
	योग	100.00	15.39	0.31	3.47	0.77	7.94	61.50	0.49	7.16	2.91
	ग्रामीण	100.00	19.60	0.16	1.54	0.41	1.22	71.69	0.43	1.34	3.59
	नगरीय	100.00	3.51	0.72	8.95	1.77	26.93	32.74	0.68	23.62	1.00
आन्ध्र प्रदेश											
	योग	100.00	2.76	0.12	0.14	0.86	7.75	80.85	0.48	5.95	1.09
	ग्रामीण	100.00	3.37	0.07	0.06	0.30	2.07	91.56	0.49	0.87	1.20
	नगरीय	100.00	0.86	0.28	0.36	2.58	25.19	47.99	0.44	21.53	0.75
अस्थाचल प्रदेश											
	योग	100.00	0.07	0.22	0.04	0.08	4.41	87.78	0.08	6.35	0.65
	ग्रामीण	100.00	0.05	0.17	0.04	0.09	1.65	94.01	0.03	3.05	0.60
	नगरीय	100.00	0.16	0.53	0.06	0.01	20.30	51.93	0.42	25.35	0.95
असम											
	योग	100.00	1.45	0.19	0.30	0.47	4.46	87.96	0.09	2.65	2.40
	ग्रामीण	100.00	1.60	0.13	0.23	0.32	1.32	93.05	0.07	0.65	2.60
	नगरीय	100.00	0.39	0.61	0.77	1.52	26.65	52.10	0.22	16.71	1.01
बिहार											
	योग	100.00	35.44	0.23	9.93	0.91	1.97	44.03	0.15	0.60	6.71
	ग्रामीण	100.00	39.49	0.09	4.52	0.60	0.18	47.39	0.07	0.14	7.49
	नगरीय	100.00	8.75	1.20	45.63	2.90	13.77	21.91	0.65	3.63	1.53
गोवा											
	योग	100.00	0.46	0.19	0.07	0.46	29.28	57.83	0.55	10.70	0.44
	ग्रामीण	100.00	0.47	0.22	0.05	0.48	16.58	75.78	0.58	5.50	0.33
	नगरीय	100.00	0.44	0.16	0.09	0.45	47.34	32.31	0.50	18.09	0.60
गुजरात											
	योग	100.00	10.89	0.09	0.27	1.79	16.51	54.91	1.00	13.71	0.82
	ग्रामीण	100.00	14.35	0.09	0.11	0.42	3.38	75.98	0.97	3.77	0.91
	नगरीय	100.00	4.67	0.09	0.56	4.23	40.03	17.15	1.07	31.53	0.65
हरियाणा											
	योग	100.00	26.36	0.14	0.44	0.82	12.91	52.10	0.35	5.82	1.00
	ग्रामीण	100.00	31.78	0.14	0.15	0.43	1.85	63.02	0.24	1.28	1.07
	नगरीय	100.00	12.13	0.14	1.20	1.82	41.95	23.42	0.65	17.77	0.81
हिमाचल प्रदेश											
	योग	100.00	0.14	0.48	0.07	0.60	6.37	82.30	0.44	9.28	0.29
	ग्रामीण	100.00	0.15	0.40	0.04	0.62	2.11	90.70	0.39	5.36	0.23
	नगरीय	100.00	0.12	1.12	0.31	0.51	40.31	15.31	0.84	40.60	0.78
कर्नाटक											
	योग	100.00	1.16	1.86	0.04	0.08	6.35	78.58	1.17	9.78	0.99
	ग्रामीण	100.00	1.44	0.35	0.02	0.04	0.73	94.43	0.76	1.23	1.01
	नगरीय	100.00	0.54	5.22	0.09	0.17	18.84	43.36	2.07	28.78	0.93

सारणी-3 • 12

भोजन फक्त के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर परिवारों का प्रतिशत क्षेत्रजन

भारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग ग्रामीण नगरीय	योग	उपलब्ध	बिजली कोयला/ लिंगनाइट	कोयला का लकड़ी फक्त को साना फक्त को लकड़ी बायोगैस	लकड़ी फक्त को गैस	मिट्टी का तेल	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केरल											
	योग	100 • 00	0 • 06	0 • 12	0 • 02	0 • 01	4 • 86	92 • 42	0 • 21	1 • 47	0 • 76
	ग्रामीण	100 • 00	0 • 06	0 • 10	0 • 01	0 • 01	1 • 56	96 • 78	0 • 19	0 • 57	0 • 68
	नगरीय	100 • 00	0 • 07	0 • 19	0 • 04	0 • 02	14 • 67	79 • 47	0 • 26	4 • 16	1 • 01
मध्य प्रदेश											
	योग	100 • 00	11 • 75	0 • 17	2 • 36	0 • 69	6 • 08	75 • 02	0 • 17	3 • 28	0 • 50
	ग्रामीण	100 • 00	14 • 56	0 • 12	0 • 60	0 • 17	0 • 47	82 • 92	0 • 14	0 • 51	0 • 50
	नगरीय	100 • 00	2 • 42	0 • 33	8 • 09	2 • 40	24 • 70	48 • 80	0 • 28	12 • 47	0 • 51
महाराष्ट्र											
	योग	100 • 00	9 • 59	0 • 10	0 • 63	0 • 36	16 • 40	49 • 28	1 • 23	20 • 28	2 • 12
	ग्रामीण	100 • 00	14 • 34	0 • 12	0 • 21	0 • 16	2 • 87	72 • 69	1 • 92	4 • 70	3 • 00
	नगरीय	100 • 00	2 • 35	0 • 09	1 • 27	0 • 68	36 • 99	13 • 66	0 • 19	43 • 99	0 • 78
मणिपुर											
	योग	100 • 00	0 • 28	0 • 18	0 • 08	0 • 44	6 • 66	85 • 50	0 • 39	3 • 26	3 • 16
	ग्रामीण	100 • 00	0 • 27	0 • 21	0 • 05	0 • 18	2 • 21	92 • 19	0 • 17	1 • 03	3 • 65
	नगरीय	100 • 00	0 • 32	0 • 08	0 • 16	1 • 14	18 • 58	67 • 61	0 • 98	9 • 22	1 • 85
मेघालय											
	योग	100 • 00	0 • 11	0 • 80	0 • 26	2 • 31	3 • 54	85 • 35	0 • 13	6 • 87	0 • 58
	ग्रामीण	100 • 00	0 • 11	0 • 47	0 • 02	0 • 44	0 • 19	97 • 22	0 • 05	0 • 92	0 • 55
	नगरीय	100 • 00	0 • 09	2 • 21	1 • 30	10 • 15	17 • 62	35 • 42	0 • 49	31 • 90	0 • 72
मिजोरम											
	योग	100 • 00	0 • 03	0 • 22	0 • 02	0 • 18	8 • 75	74 • 83	0 • 06	14 • 38	1 • 50
	ग्रामीण	100 • 00	0 • 03	0 • 02	0 • 01	0 • 07	0 • 27	96 • 73	0 • 04	0 • 37	2 • 45
	नगरीय	100 • 00	0 • 03	0 • 43	0 • 04	0 • 31	18 • 16	50 • 56	0 • 07	29 • 92	0 • 45
नागालैण्ड											
	योग	100 • 00	0 • 18	0 • 07	0 • 06	0 • 03	2 • 67	93 • 11	0 • 08	3 • 16	0 • 64
	ग्रामीण	100 • 00	0 • 19	0 • 06	0 • 01	0 • 02	0 • 57	98 • 16	0 • 02	0 • 43	0 • 55
	नगरीय	100 • 00	0 • 12	0 • 13	0 • 22	0 • 08	10 • 11	75 • 26	0 • 32	12 • 81	0 • 95
उड़ीसा											
	योग	100 • 00	13 • 50	0 • 68	2 • 41	0 • 57	2 • 27	73 • 47	0 • 26	1 • 77	5 • 03
	ग्रामीण	100 • 00	15 • 21	0 • 28	0 • 64	0 • 22	0 • 42	77 • 13	0 • 23	0 • 29	5 • 56
	नगरीय	100 • 00	2 • 70	3 • 23	13 • 65	2 • 80	13 • 98	50 • 28	0 • 43	11 • 13	1 • 65
पंजाब											
	योग	100 • 00	35 • 30	1 • 54	0 • 35	0 • 26	13 • 76	36 • 42	0 • 92	10 • 29	1 • 13
	ग्रामीण	100 • 00	46 • 27	1 • 77	0 • 06	0 • 11	2 • 43	44 • 99	0 • 40	2 • 70	1 • 24
	नगरीय	100 • 00	9 • 95	1 • 00	1 • 03	0 • 61	39 • 93	16 • 63	2 • 11	27 • 82	0 • 87
राजस्थान											
	योग	100 • 00	7 • 61	0 • 06	0 • 25	1 • 14	6 • 23	78 • 09	0 • 17	5 • 62	0 • 77
	ग्रामीण	100 • 00	9 • 07	0 • 04	0 • 07	0 • 42	0 • 51	88 • 00	0 • 08	0 • 97	0 • 81
	नगरीय	100 • 00	2 • 78	0 • 14	0 • 84	3 • 50	25 • 15	45 • 34	0 • 45	20 • 97	0 • 66

सारणी-3•12

भोजन फकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर परिवारों का प्रतिशत विभाजन

मार्ग/राज्य/यौगिक संघ राज्य ग्रामीण क्षेत्र नगरीय	योग	उफ्ता	बिजली	कोयला कोक/ लिंगनाइट	लकड़ी का कोयला	खाना फकाने की गैस	लकड़ी	बायोगैस	ग्रिट्टी का तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सेविकम											
	योग	100•00	0•02	0•40	0•34	0•26	2•63	74•47	0•23	21•24	0•42
	ग्रामीण	100•00	0•01	0•37	0•24	0•16	1•16	81•72	0•12	15•81	0•41
	नगरीय	100•00	0•09	0•68	1•21	1•10	15•86	9•53	1•19	69•78	0•54
तमில்நாடு	योग	100•00	1•25	0•13	0•02	0•04	7•29	80•35	0•79	9•63	0•49
	ग्रामीण	100•00	1•53	0•07	0•01	0•02	1•36	94•08	0•59	1•76	0•57
	नगरीय	100•00	0•64	0•25	0•04	0•10	20•04	50•79	1•22	26•59	0•32
त्रिपुरा	योग	100•00	0•46	0•07	0•02	1•54	3•35	91•52	0•09	1•92	1•01
	ग्रामीण	100•00	0•51	0•01	0•01	1•33	0•64	96•16	0•01	0•27	1•06
	नगरीय	100•00	0•21	0•38	0•06	2•63	17•39	67•60	0•52	10•43	0•77
उत्तर प्रदेश	योग	100•00	37•14	0•26	1•18	0•76	5•44	50•37	0•24	3•39	1•12
	ग्रामीण	100•00	43•62	0•18	0•26	0•31	0•63	52•93	0•16	0•68	1•15
	नगरीय	100•00	10•01	0•64	5•00	2•63	25•58	39•66	0•54	14•76	1•00
पश्चिम बंगाल	योग	100•00	18•04	0•21	23•57	2•12	4•87	32•13	0•22	3•69	15•03
	ग्रामीण	100•00	24•48	0•09	10•94	1•96	0•57	41•54	0•18	0•32	19•87
	नगरीय	100•00	2•18	0•52	54•65	2•52	15•44	9•00	0•33	11•99	3•12
आण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	योग	100•00	0•06	0•07	0•06	0•01	3•97	71•47	0•51	22•66	1•05
	ग्रामीण	100•00	0•05	0•07	0•05	0•01	0•66	88•74	0•04	9•47	0•84
	नगरीय	100•00	0•07	0•07	0•08	0•02	13•00	24•33	1•80	58•68	1•63
चण्डीगढ़	योग	100•00	1•24	0•15	0•45	0•04	49•03	7•23	0•13	40•64	0•86
	ग्रामीण	100•00	5•16	0•08	0•63	0•08	4•68	13•46	0•22	75•24	0•39
	नगरीय	100•00	0•72	0•15	0•42	0•04	54•91	6•40	0•12	36•06	0•92
दादर व मालर हवेली	योग	100•00	0•14	0•05	0•02	0•06	8•81	79•12	0•58	11•06	0•15
	ग्रामीण	100•00	0•11	0•06	0•02	0•06	5•73	84•57	0•30	9•00	0•15
	नगरीय	100•00	0•48	0•04	0•04	0•00	40•53	23•04	3•40	32•33	0•13
दमन व दीव	योग	100•00	5•73	0•09	0•04	0•03	29•40	49•84	0•63	13•90	0•33
	ग्रामीण	100•00	3•92	0•02	0•02	0•01	11•98	76•93	0•59	6•31	0•22
	नगरीय	100•00	7•65	0•17	0•07	0•04	47•76	21•29	0•67	21•90	0•44
दिल्ली	योग	100•00	4•76	0•13	0•85	0•47	46•47	4•67	0•64	41•60	0•39
	ग्रामीण	100•00	24•08	0•13	0•53	1•00	17•95	16•00	0•44	39•43	0•41
	नगरीय	100•00	2•90	0•13	0•89	0•42	49•22	3•57	0•66	41•81	0•39

सारणी-3·12

भोजन फकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर परिवारों का प्रतिशत क्रियाजन

भारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य ग्रामीण क्षेत्र	योग नगरीय	उफ्ला	बिजली	कोयला कोक/ सिंगनाइट	लकड़ी का फकाने कोयला	खाना फकाने की गेस	लकड़ी	बायोगैस	मिट्टी का तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लकड़ीप											
	योग	100·00	0·00	0·07	0·00	0·00	1·03	90·69	0·00	3·56	4·31
	ग्रामीण	100·00	0·00	0·08	0·00	0·00	0·05	98·34	0·00	0·76	0·55
	नगरीय	100·00	0·00	0·07	0·00	0·00	1·81	84·48	0·00	5·82	7·37
पाँडिचेरी											
	योग	100·00	1·84	0·07	0·04	0·03	13·81	65·21	0·69	16·16	1·99
	ग्रामीण	100·00	3·42	0·10	0·02	0·04	2·28	87·18	0·27	3·95	2·71
	नगरीय	100·00	0·80	0·05	0·06	0·03	21·40	50·76	0·96	24·18	1·52

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-३.१३

भोजन फक्त के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जाति के परिवारों

का प्रतिशत क्रियान्वयन

मारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग	उपला	बिजली	कोयला कोक/सिगनाइट	लकड़ी का फक्ने कोयला	खाना की गेस	लकड़ी	बायोगैस	मिट्टी का तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारत*											
	योग	100.00	21.42	0.20	3.19	0.80	2.16	63.72	0.18	4.51	3.77
	ग्रामीण	100.00	24.78	0.14	1.43	0.44	0.37	67.69	0.14	0.66	4.33
	नगरीय	100.00	6.29	0.47	11.14	2.42	10.23	45.83	0.37	21.89	1.25
आन्ध्र प्रदेश											
	योग	100.00	2.84	0.05	0.13	0.83	1.52	90.40	0.14	2.88	1.21
	ग्रामीण	100.00	3.13	0.03	0.06	0.26	0.38	94.46	0.13	0.25	1.30
	नगरीय	100.00	1.15	0.16	0.51	4.17	8.09	66.84	0.23	18.12	0.73
असम											
	योग	100.00	0.33	0.45	0.06	0.57	4.51	79.16	0.06	13.58	0.57
	ग्रामीण	100.00	0.16	0.56	0.04	0.76	2.35	85.69	0.08	8.91	0.64
	नगरीय	100.00	0.88	0.13	0.13	0.00	11.38	58.41	0.00	28.45	0.38
बिहार											
	योग	100.00	40.74	0.13	7.61	0.81	0.53	42.21	0.06	0.21	7.67
	ग्रामीण	100.00	43.63	0.07	3.55	0.56	0.08	43.76	0.04	0.05	8.23
	नगरीय	100.00	11.33	0.78	48.88	3.35	5.11	26.45	0.30	1.81	1.92
गोवा											
	योग	100.00	0.43	0.06	0.20	0.74	13.05	68.86	0.12	16.09	0.35
	ग्रामीण	100.00	0.65	0.03	0.27	0.65	7.01	85.13	0.14	5.78	0.34
	नगरीय	100.00	0.14	0.09	0.09	0.86	21.08	47.25	0.09	29.80	0.36
गुजरात											
	योग	100.00	12.05	0.10	0.38	2.13	10.71	58.98	0.65	14.06	0.91
	ग्रामीण	100.00	16.30	0.10	0.11	0.22	2.03	77.14	0.52	2.58	0.99
	नगरीय	100.00	4.72	0.10	0.85	5.41	25.70	27.63	0.88	33.89	0.76
हरियाणा											
	योग	100.00	33.02	0.11	0.43	0.71	1.59	61.03	0.07	2.50	0.48
	ग्रामीण	100.00	34.83	0.11	0.17	0.37	0.33	63.10	0.05	0.55	0.46
	नगरीय	100.00	24.33	0.11	1.66	2.36	7.68	51.12	0.14	11.82	0.62
हिमाचल प्रदेश											
	योग	100.00	0.11	0.24	0.07	0.82	1.80	90.80	0.20	5.73	0.22
	ग्रामीण	100.00	0.10	0.19	0.03	0.84	0.69	94.98	0.20	2.81	0.16
	नगरीय	100.00	0.21	0.90	0.59	0.61	17.42	32.03	0.21	46.83	1.14

सारणी-3.13

भोजन फ्रेने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जाति के परिवारों

का प्रतिशत विभाजन

मार्ग/राज्य/यौगिक संघ राज्य ग्रामीण क्षेत्र	योग नगरीय	उपज्ञा	बिजली कोक/ लिंगनाइट	कोयला कोक/ कोयला	लकड़ी का फ्रेने की गैस	साना फ्रेने	लकड़ी का गैस	बायोगैस	पिट्टी का तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कर्नाटक											
	योग	100.00	1.33	0.58	0.04	0.10	1.08	90.61	0.21	5.10	0.96
	ग्रामीण	100.00	1.45	0.12	0.02	0.08	0.13	96.71	0.10	0.39	1.00
	नगरीय	100.00	0.86	2.34	0.15	0.17	4.71	67.18	0.62	23.16	0.80
केरल											
	योग	100.00	0.06	0.07	0.00	0.01	0.36	98.11	0.02	0.42	0.92
	ग्रामीण	100.00	0.05	0.04	0.00	0.01	0.09	98.71	0.02	0.12	0.94
	नगरीय	100.00	0.09	0.22	0.01	0.02	1.68	95.20	0.04	1.91	0.79
मध्य प्रदेश											
	योग	100.00	17.86	0.10	2.42	0.78	1.46	74.68	0.06	2.13	0.50
	ग्रामीण	100.00	21.42	0.06	0.56	0.21	0.10	76.84	0.05	0.21	0.53
	नगरीय	100.00	3.82	0.26	9.73	3.02	6.80	66.19	0.10	9.68	0.38
महाराष्ट्र											
	योग	100.00	15.33	0.11	1.16	0.51	6.05	54.89	0.71	18.50	2.72
	ग्रामीण	100.00	20.12	0.10	0.28	0.17	1.33	69.60	0.97	3.82	3.59
	नगरीय	100.00	4.98	0.13	3.06	1.26	16.24	23.12	0.15	50.21	0.84
मणिपुर											
	योग	100.00	0.32	1.56	0.31	0.77	4.18	87.39	0.27	2.98	2.07
	ग्रामीण	100.00	0.45	2.25	0.11	0.52	1.01	90.68	0.13	1.87	2.83
	नगरीय	100.00	0.05	0.10	0.72	1.29	10.99	80.31	0.56	5.34	0.43
मेघालय											
	योग	100.00	0.06	1.38	1.05	4.98	6.17	71.00	0.11	14.79	0.38
	ग्रामीण	100.00	0.07	1.56	0.19	0.95	0.74	92.55	0.02	3.39	0.46
	नगरीय	100.00	0.05	1.05	2.73	12.89	16.80	28.73	0.27	37.16	0.23
मिजोरम											
	योग	100.00	0.04	2.57	0.00	0.09	8.38	56.60	0.09	31.52	0.62
	ग्रामीण	100.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.50	94.72	0.00	3.63	0.83
	नगरीय	100.00	0.06	3.45	0.00	0.12	11.27	42.61	0.12	41.76	0.55
उडीसा											
	योग	100.00	20.02	0.31	1.87	0.24	0.59	69.08	0.09	0.68	7.02
	ग्रामीण	100.00	21.74	0.17	0.61	0.13	0.31	69.26	0.08	0.13	7.56
	नगरीय	100.00	5.13	1.55	12.76	1.18	3.03	67.50	0.21	5.41	2.37
पंजाब											
	योग	100.00	43.93	1.77	0.35	0.27	3.61	41.00	0.52	6.95	1.57
	ग्रामीण	100.00	50.08	1.83	0.06	0.08	0.64	43.96	0.15	1.50	1.68
	नगरीय	100.00	21.39	1.55	1.41	0.97	14.51	30.12	1.87	26.94	1.18

मोजन फकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जाति के परिवारों

का प्रतिशत क्रामांकन

भारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग ग्रामीण नगरीय	उपला	बिजली कोयला कोक/लिगनाइट	कोयला का लकड़ी कोयला की फकाने गैस	साना फकाने	लकड़ी बायोगैस	पिट्टी का तेल	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्थान											
	योग	100.00	9.14	0.06	0.28	0.99	1.59	83.72	0.06	3.17	0.92
	ग्रामीण	100.00	10.28	0.04	0.08	0.33	0.15	87.67	0.02	0.44	0.95
	नगरीय	100.00	4.32	0.12	1.15	3.81	7.71	66.93	0.19	14.74	0.79
सिक्किम											
	योग	100.00	0.00	0.79	0.60	0.31	0.89	75.50	0.10	21.54	0.29
	ग्रामीण	100.00	0.00	0.67	0.46	0.27	0.32	82.17	0.08	15.81	0.21
	नगरीय	100.00	0.00	1.76	1.76	0.66	5.51	20.70	0.22	68.50	0.88
तमिलनाडु											
	योग	100.00	2.59	0.08	0.02	0.02	1.14	91.66	0.17	3.57	0.76
	ग्रामीण	100.00	2.89	0.05	0.01	0.01	0.26	95.30	0.12	0.53	0.83
	नगरीय	100.00	1.36	0.21	0.06	0.06	4.67	76.97	0.39	15.83	0.45
त्रिपुरा											
	योग	100.00	0.37	0.02	0.02	1.47	1.13	95.04	0.02	0.78	1.13
	ग्रामीण	100.00	0.39	0.01	0.01	1.06	0.56	96.70	0.01	0.13	1.13
	नगरीय	100.00	0.26	0.10	0.08	3.66	4.24	86.12	0.10	4.26	1.16
उत्तर प्रदेश											
	योग	100.00	41.08	0.14	0.94	0.61	1.63	52.82	0.11	1.60	0.98
	ग्रामीण	100.00	44.68	0.09	0.24	0.25	0.23	53.11	0.09	0.28	0.98
	नगरीय	100.00	14.44	0.50	6.15	3.26	12.00	50.66	0.33	11.38	0.98
पश्चिम बंगाल											
	योग	100.00	23.23	0.11	16.19	2.21	0.98	38.93	0.10	1.30	16.86
	ग्रामीण	100.00	27.26	0.05	7.69	1.83	0.33	43.16	0.10	0.18	19.34
	नगरीय	100.00	3.41	0.40	57.94	4.10	4.17	18.11	0.12	6.82	4.64
चण्डीगढ़											
	योग	100.00	2.51	0.06	1.14	0.09	13.92	19.39	0.16	62.16	0.37
	ग्रामीण	100.00	6.67	0.06	0.71	0.19	2.55	22.47	0.19	67.02	0.06
	नगरीय	100.00	1.86	0.05	1.21	0.07	15.67	18.92	0.15	61.40	0.41
दादरा व नागर हवेली											
	योग	100.00	0.16	0.00	0.00	0.16	13.43	68.72	0.16	17.38	0.00
	ग्रामीण	100.00	0.18	0.00	0.00	0.18	10.22	75.73	0.18	13.50	0.00
	नगरीय	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12	23.53	0.00	42.35	0.00
दमन व दीव											
	योग	100.00	17.68	0.00	0.00	0.00	9.31	61.54	0.40	10.26	0.81
	ग्रामीण	100.00	5.60	0.00	0.00	0.00	6.90	79.31	0.65	7.11	0.43
	नगरीय	100.00	37.91	0.00	0.00	0.00	13.36	31.77	0.00	15.52	1.44

सारणी-3·13

मोजन फ़काने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जाति के परिवारों

का प्रतिशत विभाजन

मारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य ग्रामीण क्षेत्र	योग	उफला	बिजली	कोयला कोक/ लिग्नाइट	लकड़ी का कोयला	खाना फ़काने की गेस	लकड़ी	बायोगेस	पिट्टी का	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दिल्ली											
योग	100·00	8·01	0·09	2·13	0·96	17·56	9·56	0·44	60·94	0·30	
ग्रामीण	100·00	28·08	0·08	0·91	1·42	7·73	22·71	0·34	38·22	0·50	
नगरीय	100·00	5·79	0·09	2·26	0·90	18·65	8·09	0·45	63·47	0·28	
पॉडचेरी											
योग	100·00	3·60	0·04	0·05	0·06	2·92	82·97	0·16	6·15	4·01	
ग्रामीण	100·00	4·07	0·03	0·04	0·08	0·30	89·33	0·03	1·69	4·43	
नगरीय	100·00	2·89	0·04	0·05	0·04	6·93	73·22	0·36	12·99	3·37	

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

मोजन फ़काने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत क्रियाजन

मार्ग/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग ग्रामीण नगरीय	उपला	बिजली कोयला कोक/ सिगनाइट कोयला	लकड़ी का फ़काने की गैस	साना फ़काने की गैस	लकड़ी बायोगेस	मिट्टी का तेल	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारत*											
	योग	100.00	5.13	0.11	1.58	0.44	1.07	87.51	0.16	1.93	2.05
	ग्रामीण	100.00	5.34	0.05	0.68	0.26	0.24	90.72	0.15	0.41	2.13
	नगरीय	100.00	2.83	0.75	11.20	2.38	9.98	53.08	0.26	18.20	1.23
आन्ध्र प्रदेश											
	योग	100.00	0.59	0.02	0.08	0.32	0.70	96.24	0.12	1.42	0.51
	ग्रामीण	100.00	0.55	0.01	0.05	0.13	0.15	98.40	0.10	0.14	0.47
	नगरीय	100.00	0.98	0.13	0.42	2.34	6.39	73.78	0.30	14.70	0.93
अरुणाचल प्रदेश											
	योग	100.00	0.05	0.06	0.02	0.07	1.23	96.13	0.02	1.83	0.32
	ग्रामीण	100.00	0.04	0.03	0.02	0.07	0.43	98.22	0.01	0.60	0.31
	नगरीय	100.00	0.18	0.49	0.01	0.00	12.75	66.21	0.21	19.42	0.36
অসম											
	যোগ	100.00	0.19	0.09	0.04	0.39	0.79	97.51	0.02	0.76	0.19
	গ্রামীণ	100.00	0.19	0.07	0.04	0.32	0.24	98.74	0.02	0.20	0.18
	নগরীয়	100.00	0.15	0.70	0.10	1.94	13.19	70.04	0.03	13.37	0.39
ਬिहार											
	योग	100.00	8.70	0.15	7.69	0.93	0.40	79.54	0.05	0.14	2.40
	ग्रामीण	100.00	9.27	0.05	4.03	0.66	0.05	83.40	0.03	0.05	2.46
	নগরীয়	100.00	1.60	1.37	52.76	4.30	4.69	32.00	0.30	1.30	1.65
गोवा											
	योग	100.00	0.00	1.04	0.00	1.04	14.58	59.38	0.00	20.33	3.13
	গ্রামীণ	100.00	0.00	3.85	0.00	0.00	11.54	80.77	0.00	3.85	0.00
	নগরীয়	100.00	0.00	0.00	0.00	1.43	15.71	51.43	0.00	27.14	4.29
ગુજરાત											
	योग	100.00	4.48	0.03	0.06	0.20	1.92	88.90	0.49	3.15	0.76
	গ্রামীণ	100.00	4.45	0.02	0.05	0.03	0.77	92.69	0.49	0.75	0.75
	নগરীয়	100.00	4.81	0.10	0.24	1.77	12.78	53.08	0.44	25.90	0.87
हिमाचल प्रदेश											
	যোগ	100.00	1.24	0.16	0.03	0.39	1.95	88.67	0.19	7.11	0.25
	গ্রামীণ	100.00	1.29	0.13	0.01	0.37	0.81	92.00	0.07	5.12	0.19
	নগরীয়	100.00	0.11	0.78	0.34	0.78	26.52	16.53	2.85	50.36	1.62
ಕರ್ನಾಟಕ											
	যোগ	100.00	0.52	0.08	0.01	0.01	0.11	98.31	0.13	0.43	0.40
	গ্রামীণ	100.00	0.52	0.08	0.01	0.01	0.11	98.31	0.13	0.43	0.40
	নগরীয়	100.00	0.60	3.64	0.14	0.14	5.25	61.60	0.90	26.56	1.14
കেরल											
	যোগ	100.00	0.14	0.04	0.01	0.01	0.48	98.74	0.03	0.21	0.27
	গ্রামীণ	100.00	0.15	0.02	0.01	0.01	0.15	99.26	0.03	0.05	0.26
	নগরীয়	100.00	0.00	0.29	0.00	0.00	6.30	89.83	0.00	3.01	0.43

सारणी-३.१४

भोजन फ़लने के निए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत क्रियान्वयन

भारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग ग्रामीण नगरीय	योग	उफला	बिजली	कोयला कोक/सिंगनाइट कोयला	लकड़ी का फ़काने	खाना की गैस	लकड़ी का बायोगैस	मिट्टी का तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य प्रदेश											
	योग	100.00	4.05	0.07	1.08	0.21	0.31	93.42	0.02	0.50	0.32
	ग्रामीण	100.00	4.14	0.05	0.35	0.12	0.04	94.85	0.02	0.12	0.31
	नगरीय	100.00	2.51	0.51	14.24	1.83	5.03	68.00	0.06	7.32	0.46
महाराष्ट्र											
	योग	100.00	8.71	0.05	0.47	0.31	2.33	77.99	0.61	6.00	3.53
	ग्रामीण	100.00	9.19	0.04	0.14	0.09	0.41	84.05	0.68	1.60	3.80
	नगरीय	100.00	5.44	0.09	2.67	1.79	15.28	37.20	0.14	35.60	1.78
मणिपुर											
	योग	100.00	0.06	0.10	0.09	0.67	2.96	93.70	0.12	1.74	0.50
	ग्रामीण	100.00	0.04	0.08	0.06	0.15	0.64	97.95	0.02	0.55	0.47
	नगरीय	100.00	0.26	0.24	0.40	5.64	24.82	53.75	1.02	12.97	0.72
मेघालय											
	योग	100.00	0.10	0.57	0.09	1.48	1.29	91.52	0.06	4.39	0.48
	ग्रामीण	100.00	0.10	0.20	0.01	0.29	0.09	98.33	0.02	0.47	0.47
	नगरीय	100.00	0.08	2.94	0.59	9.17	9.05	47.45	0.34	29.74	0.53
मिजोरम											
	योग	100.00	0.03	0.15	0.02	0.18	8.70	75.88	0.06	13.54	1.45
	ग्रामीण	100.00	0.03	0.02	0.01	0.07	0.27	96.77	0.04	0.34	2.45
	नगरीय	100.00	0.03	0.29	0.04	0.30	18.52	51.52	0.08	28.92	0.28
नागालैण्ड											
	योग	100.00	0.17	0.06	0.04	0.03	1.86	95.46	0.05	1.85	0.48
	ग्रामीण	100.00	0.16	0.05	0.01	0.02	0.51	98.52	0.01	0.23	0.47
	नगरीय	100.00	0.11	0.14	0.17	0.09	7.85	81.82	0.22	9.07	0.53
उड़ीसा											
	योग	100.00	2.37	0.19	1.30	0.09	0.33	92.40	0.12	0.19	2.99
	ग्रामीण	100.00	2.42	0.07	0.32	0.04	0.21	93.69	0.12	0.05	3.07
	नगरीय	100.00	1.59	2.17	18.17	0.97	2.53	70.17	0.06	2.63	1.70
राजस्थान											
	योग	100.00	7.81	0.03	0.10	0.59	0.63	88.60	0.04	1.52	0.65
	ग्रामीण	100.00	8.03	0.02	0.03	0.35	0.08	90.49	0.02	0.32	0.63
	नगरीय	100.00	4.29	0.20	1.25	4.30	9.27	58.76	0.22	20.48	1.00
सर्वक्रम											
	योग	100.00	0.02	0.20	0.13	0.07	2.50	78.12	0.28	18.44	0.23
	ग्रामीण	100.00	0.02	0.19	0.10	0.04	1.08	84.88	0.09	13.42	0.17
	नगरीय	100.00	0.00	0.31	0.38	0.44	17.30	7.74	2.26	70.63	0.88
त्रिपुरा											
	योग	100.00	1.02	0.10	0.01	0.04	2.55	90.41	0.30	4.99	0.58
	ग्रामीण	100.00	1.00	0.07	0.00	0.00	0.35	97.08	0.17	0.79	0.52
	नगरीय	100.00	1.15	0.21	0.04	0.19	12.91	59.04	0.89	24.73	0.82

सारणी-3·14

भोजन फ़क्तने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर अनुसूचित जनजाति के परिवारों का प्रतिशत क्रियाजन

मान्दर/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग ग्रामीण नगरीय	उफ़ला	बिजली कोयला कोक/लिग्नाइट	कोयला कोक/लिग्नाइट कोयला	लकड़ी का फ़क्तने फ़क्तने की गैस	खाना	लकड़ी	बायोगैस	मिट्टी का तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
त्रिपुरा											
	योग	100·00	0·49	0·04	0·01	0·79	0·88	96·14	0·01	0·52	1·11
	ग्रामीण	100·00	0·50	0·00	0·01	0·78	0·48	97·02	0·00	0·07	1·13
	नगरीय	100·00	0·09	1·98	0·06	1·51	19·55	55·15	0·15	21·38	0·15
उत्तर प्रदेश											
	योग	100·00	20·84	0·55	2·68	1·39	8·90	56·12	0·19	7·26	1·72
	ग्रामीण	100·00	26·42	0·46	0·46	0·39	1·27	67·29	0·15	1·61	1·77
	नगरीय	100·00	9·24	0·75	7·28	3·47	24·78	32·90	0·28	19·02	1·61
पश्चिम बंगाल											
	योग	100·00	15·46	0·11	6·29	1·56	0·86	61·89	0·07	0·88	12·83
	ग्रामीण	100·00	16·46	0·06	2·64	1·26	0·35	65·47	0·06	0·11	13·57
	नगरीय	100·00	3·48	0·76	50·04	5·13	7·06	18·93	0·18	10·02	4·01
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह											
	योग	100·00	0·02	0·09	0·05	0·02	0·49	92·47	0·21	5·86	0·40
	ग्रामीण	100·00	0·02	0·05	0·05	0·02	0·25	96·90	0·02	2·22	0·35
	नगरीय	100·00	0·00	0·81	0·00	0·00	4·47	20·33	3·25	65·04	1·22
दादरा व नागर हवेली											
	योग	100·00	1·09	0·20	0·05	0·00	3·33	91·26	0·05	3·97	0·05
	ग्रामीण	100·00	1·10	0·06	0·06	0·00	1·53	95·97	0·06	1·16	0·06
	नगरीय	100·00	1·07	0·80	0·00	0·00	11·20	70·67	0·00	16·27	0·00
दमन व दीव											
	योग	100·00	0·04	0·06	0·02	0·01	1·43	96·21	0·09	2·03	0·13
	ग्रामीण	100·00	0·04	0·06	0·02	0·01	1·04	96·94	0·07	1·69	0·13
	नगरीय	100·00	0·00	0·00	0·00	0·00	13·18	74·46	0·49	11·86	0·00
लक्ष्मीप											
	योग	100·00	0·00	0·07	0·00	0·00	0·35	97·85	0·00	1·38	0·13
	ग्रामीण	100·00	0·00	0·06	0·00	0·00	0·03	99·39	0·00	0·29	0·12
	नगरीय	100·00	0·00	0·08	0·00	0·00	0·64	96·43	0·00	2·39	0·13

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

सारणी-3•15

मोजन फ्काने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर "अन्य" के परिवारों

का प्रतिशत क्रियान्वयन

मारत/राज्य/यौगिक सघ राज्य ग्रामीण क्षेत्र नगरीय	योग	उफ्ला	बिजली	कोयला कोक/ लिंगनाइट	लकड़ी का फ्काने कोयला	खाना	लकड़ी का फ्काने की गेस	बायोगैस	पिट्टी का	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
भारत *											
	योग	100•00	15•05	0•36	3•75	0•80	10•13	58•07	0•61	8•40	2•79
	ग्रामीण	100•00	20•18	0•19	1•69	0•43	1•60	70•08	0•55	1•67	3•58
	नगरीय	100•00	3•12	0•76	8•55	1•66	29•94	30•16	0•74	24•04	0•96
आन्ध्र प्रदेश											
	योग	100•00	2•91	0•14	0•14	0•91	9•59	77•67	0•57	6•94	1•11
	ग्रामीण	100•00	3•71	0•08	0•06	0•33	2•67	90•17	0•61	1•10	1•25
	नगरीय	100•00	0•82	0•30	0•35	2•41	27•52	45•29	0•47	22•07	0•74
अरुणाचल प्रदेश											
	योग	100•00	0•07	0•45	0•07	0•07	9•25	75•49	0•18	12•87	1•16
	ग्रामीण	100•00	0•05	0•41	0•07	0•10	4•00	86•23	0•06	7•51	1•15
	नगरीय	100•00	0•12	0•56	0•08	0•01	23•47	46•39	0•51	27•40	1•19
অসম											
	যোগ	100•00	1•53	0•22	0•33	0•46	5•23	86•19	0•10	3•00	2•91
	গ্রামীণ	100•00	1•71	0•15	0•26	0•30	1•55	91•96	0•08	0•77	3•21
	নগরীয়	100•00	0•41	0•64	0•83	1•50	28•66	49•40	0•22	17•28	1•04
বিহার											
	যোগ	100•00	37•09	0•27	10•69	0•92	2•46	40•68	0•18	0•73	6•95
	গ্রামীণ	100•00	41•97	0•10	4•81	0•61	0•22	44•12	0•08	0•17	7•89
	নগরীয়	100•00	8•78	1•25	44•80	2•76	15•45	20•74	0•71	4•00	1•47
গোবা											
	যোগ	100•00	0•46	0•19	0•07	0•46	29•66	57•57	0•56	10•57	0•44
	গ্রামীণ	100•00	0•47	0•22	0•05	0•47	16•79	75•57	0•59	5•49	0•33
	নগরীয়	100•00	0•45	0•16	0•09	0•44	48•00	31•93	0•51	17•80	0•61
গুজরাত											
	যোগ	100•00	11•92	0•10	0•30	2•04	19•98	48•06	1•15	15•63	0•82
	গ্রামীণ	100•00	16•88	0•10	0•13	0•56	4•31	71•09	1•16	4•79	0•95
	নগরীয়	100•00	4•66	0•09	0•54	4•20	42•92	14•33	1•12	31•49	0•63
হারিয়ানা											
	যোগ	100•00	24•67	0•15	0•44	0•34	15•78	49•83	0•42	6•67	1•13
	গ্রামীণ	100•00	30•86	0•15	0•15	0•45	2•31	63•00	0•30	1•49	1•25
	নগরীয়	100•00	10•36	0•15	1•13	1•74	46•92	19•40	0•72	18•63	0•84
হিমাচল প্রদেশ											
	যোগ	100•00	0•09	0•58	0•07	0•54	8•25	78•91	0•54	10•67	0•32
	গ্রামীণ	100•00	0•09	0•50	0•04	0•55	2•74	88•99	0•48	6•35	0•26
	নগরীয়	100•00	0•10	1•17	0•26	0•49	44•69	12•28	0•91	39•29	0•70
কর্ণাটক											
	যোগ	100•00	1•15	2•16	0•04	0•08	7•60	75•67	1•39	10•90	1•01
	গ্রামীণ	100•00	1•48	0•41	0•02	0•03	0•91	93•71	0•95	1•46	1•04
	নগরীয়	100•00	0•50	5•60	0•08	0•17	20•81	40•13	2•26	29•51	0•94

सारणी-3-15

मोजन फक्त के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर "अन्य" के परिवारों

का प्रतिशत क्रमांकन

भारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग	उपला	बिजली	कोयला कोक/ हिंगनाइट	लकड़ी का फक्त	साना फक्त	लकड़ी कोयला की गैस	बायोगैस	भिट्ठी का तेल	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केरल											
योग	100.00	0.06	0.13	0.02	0.01	5.36	91.78	0.23	1.59	0.75	
ग्रामीण	100.00	0.06	0.11	0.01	0.01	1.74	96.52	0.22	0.63	0.66	
नगरीय	100.00	0.07	0.19	0.04	0.02	15.51	78.45	0.28	4.30	1.02	
मध्य प्रदेश											
योग	100.00	13.15	0.23	2.83	0.85	9.57	67.83	0.26	4.68	0.58	
ग्रामीण	100.00	18.03	0.18	0.75	0.19	0.80	78.43	0.22	0.80	0.59	
नगरीय	100.00	2.17	0.33	7.52	2.34	29.33	43.97	0.34	13.42	0.55	
महाराष्ट्र											
योग	100.00	8.85	0.11	0.57	0.35	19.47	45.25	1.38	22.13	1.87	
ग्रामीण	100.00	14.22	0.13	0.21	0.17	3.57	71.26	2.30	5.39	2.76	
नगरीय	100.00	1.97	0.08	1.04	0.58	39.87	11.89	0.20	43.61	0.74	
झारखण्ड											
योग	100.00	0.42	0.07	0.05	0.25	9.32	80.02	0.59	4.27	4.99	
ग्रामीण	100.00	0.46	0.09	0.04	0.17	3.82	86.99	0.32	1.37	6.73	
नगरीय	100.00	0.35	0.05	0.07	0.39	18.28	68.66	1.02	8.98	2.17	
मेघालय											
योग	100.00	0.20	2.20	1.25	7.18	17.34	48.49	0.56	21.39	1.27	
ग्रामीण	100.00	0.31	3.38	0.07	2.20	1.23	85.12	0.34	5.71	1.52	
नगरीय	100.00	0.10	1.18	2.26	11.43	31.11	17.19	0.75	34.79	1.06	
मिजोरम											
योग	100.00	0.05	1.60	0.05	0.67	12.52	34.20	0.00	44.75	5.79	
ग्रामीण	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	87.72	0.00	1.17	8.77	
नगरीय	100.00	0.06	1.76	0.06	0.74	13.62	29.00	0.00	48.98	5.51	
नागालैण्ड											
योग	100.00	0.29	0.16	0.23	0.04	10.19	71.44	0.37	15.20	2.07	
ग्रामीण	100.00	0.45	0.23	0.04	0.03	1.59	91.88	0.04	3.85	1.89	
नगरीय	100.00	0.16	0.10	0.38	0.05	16.97	55.35	0.62	24.14	2.22	
उडीसा											
योग	100.00	16.12	1.01	3.06	0.88	3.63	66.87	0.37	2.79	5.25	
ग्रामीण	100.00	19.16	0.42	0.81	0.33	0.57	71.81	0.34	0.47	6.07	
नगरीय	100.00	2.39	3.68	13.24	3.33	17.47	44.55	0.51	13.27	1.51	
फ़ंजाब											
योग	100.00	31.83	1.44	0.35	0.26	18.33	33.88	1.19	11.70	0.98	
ग्रामीण	100.00	44.47	1.74	0.06	0.12	3.28	45.48	0.52	3.27	1.04	
नगरीय	100.00	7.08	0.85	0.93	0.52	47.81	11.18	2.50	28.22	0.86	
राजस्थान											
योग	100.00	7.11	0.07	0.27	1.29	8.69	74.39	0.23	7.13	0.75	
ग्रामीण	100.00	8.93	0.04	0.07	0.47	0.74	87.48	0.12	1.31	0.80	
नगरीय	100.00	2.40	0.14	0.76	3.41	29.37	40.36	0.51	22.26	0.62	

सारणी-3•15

मोजन फ़काने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर "अन्य" के प्रीवार्टे

का प्रतिशत क्रिमाजन

भारत/राज्य/योगिक संघ राज्य ग्रामीण क्षेत्र	योग	उपला	बिजली	कोयला कोक/लिंगनाइट कोयला	लकड़ी का फ़काने	साना फ़काने की गैस	लकड़ी	बायोगैस	पिट्टी का	अन्य तेज	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सिविकम											
	योग	100•00	0•02	0•43	0•39	0•31	2•81	73•20	0•22	22•13	0•49
	ग्रामीण	100•00	0•01	0•40	0•27	0•20	1•24	80•63	0•13	16•61	0•50
	नगरीय	100•00	0•12	0•69	1•40	1•31	16•27	9•15	0•97	69•65	0•42
तमில்நாடு											
	योग	100•00	0•90	0•14	0•02	0•05	8•96	77•25	0•96	11•28	0•43
	ग्रामीण	100•00	1•11	0•07	0•01	0•02	1•74	93•63	0•75	2•17	0•49
	नगरीय	100•00	0•53	0•25	0•04	0•10	22•37	46•87	1•34	28•19	0•30
त्रिपुरा											
	योग	100•00	0•48	0•10	0•03	2•02	5•59	87•57	0•17	3•14	0•91
	ग्रामीण	100•00	0•57	0•01	0•02	1•87	0•79	95•28	0•02	0•48	0•97
	नगरीय	100•00	0•20	0•35	0•05	2•47	20•09	64•28	0•63	11•19	0•72
उत्तर प्रदेश											
	योग	100•00	35•92	0•31	1•25	0•80	6•71	49•50	0•28	3•98	1•16
	ग्रामीण	100•00	43•32	0•21	0•27	0•33	0•78	52•77	0•19	0•83	1•21
	नगरीय	100•00	9•19	0•66	4•77	2•50	28•12	37•68	0•58	15•34	1•00
पश्चिम बंगाल											
	योग	100•00	16•26	0•26	27•95	2•13	6•72	26•86	0•28	4•87	14•53
	ग्रामीण	100•00	24•12	0•11	13•61	2•11	0•72	37•68	0•23	0•42	20•94
	नगरीय	100•00	1•93	0•54	54•13	2•17	17•68	7•13	0•37	12•98	2•82
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह											
	योग	100•00	0•06	0•07	0•06	0•01	4•25	69•78	0•54	24•02	1•10
	ग्रामीण	100•00	0•06	0•07	0•05	0•01	0•70	87•88	0•04	10•24	0•89
	नगरीय	100•00	0•07	0•05	0•09	0•02	13•14	24•39	1•78	58•58	1•64
चण्डीगढ़											
	योग	100•00	1•00	0•16	0•32	0•03	55•68	4•92	0•12	36•58	0•95
	ग्रामीण	100•00	4•83	0•09	0•61	0•05	5•15	11•46	0•23	77•07	0•47
	नगरीय	100•00	0•51	0•17	0•28	0•03	62•17	4•09	0•11	31•37	1•01
दादरा व नागर हवेली											
	योग	100•00	0•44	0•05	0•05	0•20	28•99	32•37	2•00	35•72	0•21
	ग्रामीण	100•00	0•36	0•04	0•04	0•26	21•95	41•49	1•15	34•50	0•22
	नगरीय	100•00	0•69	0•06	0•06	0•00	51•25	3•50	4•69	39•56	0•19
दम्भन व दीव											
	योग	100•00	5•77	0•08	0•04	0•03	33•66	44•03	0•71	15•33	0•34
	ग्रामीण	100•00	4•44	0•01	0•01	0•01	14•60	72•58	0•70	7•40	0•24
	नगरीय	100•00	6•94	0•14	0•07	0•05	50•52	18•74	0•73	22•36	0•43
दिल्ली											
	योग	100•00	3•91	0•14	0•52	0•34	54•08	3•38	0•69	36•51	0•41
	ग्रामीण	100•00	22•85	0•15	0•41	0•87	21•12	13•93	0•47	39•80	0•39
	नगरीय	100•00	2•15	0•14	0•53	0•29	57•14	2•40	0•71	36•20	0•42

भोजन फकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन के आधार पर "अन्य" के परिवारों
का प्रतिशत विपाजन

मारत/राज्य/यौगिक संघ राज्य क्षेत्र	योग ग्रामीण नगरीय	उपला	बिजली कोयला कोक/ शिगनाइट	लकड़ी का कोयला	खाना फकाने की गैस	लकड़ी वायोगैस	मिट्टी का तेल	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लक्षद्वीप											
	योग	100.00	0.00	0.10	0.00	0.00	5.85	39.74	0.00	19.03	34.09
	ग्रामीण	100.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	81.22	0.00	8.45	7.51
	नगरीय	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29	28.64	0.00	21.86	41.21
पांडुचेरी											
	योग	100.00	1.43	0.08	0.04	0.03	16.32	61.12	0.81	18.46	1.52
	ग्रामीण	100.00	3.17	0.13	0.02	0.02	3.07	86.33	0.37	4.85	2.02
	नगरीय	100.00	0.51	0.06	0.06	0.03	23.41	47.63	1.05	25.74	1.26

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

परिचय - ।

भारत की जनगणना - 1991

मकान सूचीकरण की समयसारणी

राज्य/संघीयक्षेत्र	मकान सूची भरने की अवधि
राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	मध्य जून से मध्य जुलाई, 1990
असमाचल प्रदेश	सितम्बर, 1990
असम	मध्य अप्रैल से मध्य मई, 1990
बिहार	मई, 1990
गोवा	अप्रैल, 1990
गुजरात	जून-जुलाई, 1990
हरियाणा	मई, 1990
हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 10-25, 1990 ^१ साधारण क्षेत्र ^२ व मध्य मई से मध्य जुलाई, 1990 ^१ वर्ष से आच्छादित क्षेत्र ^२
कर्नाटक	अप्रैल-मई, 1990
केरल	अप्रैल-मई, 1990
मध्य प्रदेश	मध्य जून से मध्य जुलाई, 1990
महाराष्ट्र	अप्रैल-मई, 1990
मणिपुर	अगस्त, 1990
मेघालय	अप्रैल-मई, 1990
मिजोरम	मई 7 से जून 6, 1990
नागालैण्ड	अप्रैल 20 से मई 19, 1990
उडीसा	अप्रैल, 1990
पंजाब	सितम्बर, 1990
राजस्थान	मध्य अगस्त से मध्य सितम्बर, 1990
सिक्किम	मई, 1990
तमिलनाडु	मध्य जुलाई से मध्य अगस्त, 1990
त्रिपुरा	मध्य मई से मध्य जून, 1990
उत्तर प्रदेश	सितम्बर, 1990
पश्चिम बंगाल	अगस्त 18 से सितम्बर 18, 1990
संघ राज्यक्षेत्र	
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	अप्रैल, 1990
चण्डीगढ़	अप्रैल, 1990
दादरा व नागर हवेली	मई 25 से मध्य जून, 1990
दमन व दीव	जून-जुलाई, 1990
दिल्ली	सितम्बर, 1990
लखनऊ	अप्रैल 21 से मध्य मई, 1990
पीडीचेरी	जुलाई, 1990

三

प्रतिवेदन से संलग्न अधिकारी व कर्मचारीगण सूची

अमृत्यु रत्न नन्द
महाराजस्टार तथा जनगणना आयुक्त - भारत

क०सु० नटराजन
उप महाराजस्टार - भारत

फूल सिंह	के० नारायण उमेश
उप निदेशक	वरीष्ठ अनुसंधान अधिकारी
जनगणना कार्य	जनगणना कार्य
सुभाष गर्ग	
सहायक निदेशक	अन्वेषक
जनगणना कार्य	हरिकृष्ण कौशल
सार्विकी सहायक	कुवैर पाल
नरेश चन्द्र	प्रण नाथ शर्मा
राम धनी	
वीरेन्द्र सिंह	संग्रहक
आशुलीफ़िक ३ ग्रेड -सी०३	कुलजीत कौर
गुरपीत कौर	निर्मल भल्ला
पूफ संशोधक	पुष्प लता
नरेन्द्र कुमार जैन	ओनता जैन
	राम चन्द्र
	देवेन्द्र कुमार शर्मा